

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-763/78-1-2026-45/2026
लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2026

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल "उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026" प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- "उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026" अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 09-07-2026
19:39:23
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
- 3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

नीति की प्रतियां हिन्दी (संलग्नक-1) एवं अंग्रेजी (संलग्नक-2) संलग्न।

आज्ञा से,

(समीर)

विशेष सचिव

Digitally signed by
SAMEER VERMA
Date: 10-07-2026
10:29:15

संलग्नक- 1



उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026



सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

1- प्रस्तावना

भारत की स्टार्टअप क्रांति नवाचार के भविष्य को नया आकार दे रही है, और उत्तर प्रदेश इस परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डिजिटल प्रगति और महत्वाकांक्षी उद्यमियों की नई पीढ़ी से प्रेरित होकर, राज्य में ऐसे विचारों का उदय हो रहा है जिनमें व्यापक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है। यह यात्रा इस बात को स्वीकार करती है कि कुछ स्टार्टअप सफलता प्राप्त करते हैं, अन्य असफल हो सकते हैं और दोनों परिणाम एक लचीले और लगातार विकसित होने वाले नवाचार इकोसिस्टम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अपनी विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश, विस्तारित ज्ञान भंडार और बढ़ते औद्योगिक विस्तार के साथ, उत्तर प्रदेश इस गति का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम है। आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देने में स्टार्टअप की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए, राज्य एक जीवंत और लचीले स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो नवप्रवर्तकों को सशक्त बनाता है और सभी क्षेत्रों में उद्यम निर्माण का समर्थन करता है।

पिछले कुछ वर्षों में, प्रगतिशील नीतियों और निरंतर प्रयासों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश ने एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम का सुदृढ़ आधार सृजन किया है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 इस यात्रा के प्रति एक नई प्रतिबद्धता को दर्शाती है—जो सभी क्षेत्रों में सहयोग, समावेशिता और नवाचार पर केंद्रित है। इन पहलों ने वित्तीय प्रोत्साहन, इनक्यूबेशन अवसररचना, क्षमता निर्माण और बाजार संपर्कों के रूप में सहायक समर्थन प्रदान करके एक मजबूत नींव रखी है।

पूँजी, मार्गदर्शन, बुनियादी ढांचे और बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाकर, राज्य का लक्ष्य हर स्तर पर उद्यमशीलता की क्षमता को उजागर करना है। उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी स्टार्टअप केंद्रों में से एक के रूप में उभरने की आकांक्षा रखता है, जो न केवल आर्थिक विकास बल्कि सार्थक सामाजिक परिवर्तन को भी गति प्रदान करेगा।

2- परिकल्पना

उत्तर प्रदेश में समग्र और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए नवाचार-संचालित उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को उत्प्रेरित करके राज्य का रूपांतरण।

3- उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य सभी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र समर्थकों के लिए प्रदर्शन-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, सुव्यवस्थित और समन्वित तरीके से राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विविध अवसर प्रदान करना है। यह उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को पोषण और समर्थन देने का प्रयास करता है, जिससे वे राज्य में सफल और सतत उद्यमों में विकसित हो सकें।

4- लक्ष्य

(A) उत्तर प्रदेश को भारत में शीर्ष स्थान दिलाना और राज्य को उद्यमिता और नवाचार के लिए एक अग्रणी गन्तव्य के रूप में स्थापित करना।

(B) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और अन्य डीप-टेक डोमेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ कृषि-तकनीक, ग्रामीण-तकनीक, अंतरिक्ष-तकनीक, रक्षा-तकनीक, शिक्षा-तकनीक, स्वास्थ्य-तकनीक और सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय शक्तियों के अनुरूप जिला-स्तरीय नवाचार समूहों का विकास करना, जिनमें स्थानीय आर्थिक विकास को गति देने के लिए ओडीओपी-आधारित उद्योग शामिल हैं।

(c) सफल स्टार्टअप स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने और उन्हें बढ़ने और उत्तर प्रदेश में मजबूती से टिके रहने में सक्षम बनाने वाली नीति प्रदान करने के लिए, इस प्रकार उद्यमिता आधार का विस्तार करना और राज्य भर में एक मजबूत और टिकाऊ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करना।

(d) अतिरिक्त सफल स्टार्टअप की स्थापना को सुगम बनाना, जिससे उद्यमशीलता का आधार विस्तारित हो और सम्पूर्ण प्रदेश में एक मजबूत और टिकाऊ स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास सुनिश्चित हो।

(e) सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में इनक्यूबेशन केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करना और इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, जिसमें एक प्रमुख इनक्यूबेशन सुविधा के रूप में अत्याधुनिक "यू-हब (डीपटेक हब) " की स्थापना शामिल है।

सम्पूर्ण राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर और सेक्टर के प्रति केंद्रित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE), के एक व्यापक नेटवर्क की स्थापना और उसे मजबूत करना।

(f) विद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों और इनक्यूबेशन केंद्रों में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देकर स्टार्टअप पाइपलाइन को मजबूत करना।

(g) संस्थागत और एंजेल निवेशकों के साथ संबंध स्थापित करके और सरकार समर्थित वित्तीय सहायता तंत्रों का लाभ उठाकर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी तक पहुंच बढ़ाना; और सरकारी विभागों और सार्वजनिक एजेंसियों को, प्रारंभिक अपनाने वाले और प्रमुख ग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके बाजार पहुंच को सक्षम बनाना।

(h) स्टार्टअप-केंद्रित शिक्षा, कौशल विकास पहलों और मेंटरशिप कार्यक्रमों के एकीकरण के माध्यम से कुशल और उद्यमिता-उन्मुख कार्यबल का निर्माण करना।

(i) सरलीकृत नियामक प्रक्रियाओं, एकल-खिड़की सहायता के प्रावधान और समयबद्ध अनुमोदन सुनिश्चित करके स्टार्टअप्स के लिए व्यापार करने में आसानी में सुधार करना।

5- नीति अवधि एवं प्रयोज्यता

(a) उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 इसकी अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि तक लागू रहेगी।

(b) उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन 2022) के प्रावधान उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की अधिसूचना की तिथि तक प्रभावी रहेंगे।

(c) जुलाई 2025 से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की अधिसूचना की तिथि तक की अवधि के दौरान अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या स्वीकृत प्रोत्साहन प्राप्त सभी स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE), और अन्य लाभार्थी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 (प्रथम संशोधन 2022) के प्रावधानों द्वारा शासित होते रहेंगे और उसके अंतर्गत पात्र बने रहेंगे।

(d) उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत PIU/PMIC के अनुमोदन हेतु विचारधीन प्रकरणों में आवेदक को एक बार यह विकल्प दिया जाएगा कि वे इस नीति की अधिसूचना की तिथि के तीन माह के भीतर उक्त नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत विकल्प का चयन करें अथवा अपने प्रस्ताव पर नई नीति के अन्तर्गत विचारार्थ आवेदन करें।

उपरोक्त विकल्प नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के अनुमोदन के अधीन होगा, जोकि स्टार्टअप समीक्षा विशेषज्ञ समिति (SRCE) की संस्तुतियों पर आधारित होगा, तथा इस सम्बन्ध में नीति कार्यान्वयन इकाई का निर्णय अन्तिम होगा।

(e) उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 क्षेत्र-विशिष्ट नहीं होगी और राज्य के सभी क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्टअप पर लागू होगी।

(f) AKTU कॉर्पस फण्ड:

i. पूर्ववर्ती यूपी स्टार्टअप नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा ₹150 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया था और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से इसे सुलभ बनाया गया था। उक्त कोष को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग/ नोडल एजेंसी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नामित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के माध्यम से ₹250 करोड़ के अतिरिक्त कोष के साथ संचालित किया जाता रहेगा। इस प्रकार कॉर्पस फण्ड की राशि 400 करोड़ रुपये होगी।

ii. उक्त कोष से नीति के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित मदों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

- इस नीति में उल्लिखित इन्क्यूबेटर्स के लिए नीति के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रकार के अनुदान और वित्तीय सहायता।

- इस नीति में उल्लिखित स्टार्टअप्स के लिए नीति के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रकार की वित्तीय सहायता।
- स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल AKTU कॉर्पस फंड से प्रदान की जाएगी और बाद में इसकी प्रतिपूर्ति सीड कैपिटल फंड में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी।
- नीतिगत प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थापित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) को अनुदान दिया जाएगा।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(g) केंद्र और राज्य की नीतियों के साथ तालमेल

DPIIT और StartinUP में पंजीकृत सभी स्टार्टअप केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई सभी नीतियों के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं।

6- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनका सामूहिक उद्देश्य राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और स्थायी बनाया जाना है:-

1. **अवसंरचना विकास** – स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए भौतिक और डिजिटल अवसंरचना में अभिवृद्धि।
2. **वित्तपोषण सहायता** – सरकारी योजनाओं और निजी निवेशकों के साथ संबंधों के माध्यम से वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनाना।
3. **प्रतिभा विकास और क्षमता निर्माण** – शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से कुशल और नवाचार-प्रेरित कार्यबल का निर्माण करना।
4. **उद्योग संपर्क** – बाजार पहुंच और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए स्टार्टअप, उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
5. **ईकोसिस्टम संवर्धन** – राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक ब्रांडिंग, आउटरीच पहलों, पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी और लक्षित प्रचार गतिविधियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना और प्रतिष्ठित करना।
6. **पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तिकरण** – संस्थागत क्षमता निर्माण, हितधारकों की सहभागिता, नीतिगत सहायता तंत्र और स्टार्टअप तथा उन्हें सक्षम बनाने वालों के लिए समर्थन संरचनाओं में निरंतर सुधार के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की गहनता और गुणवत्ता को सुदृढ़ करना।

स्तंभ 1: अवसंरचना विकास

1. StartinUP ऑनलाइन पोर्टल: StartinUP ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक एकीकृत वेब प्लेटफॉर्म होगा जो स्टार्टअप्स, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, मेंटर्स, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) और अन्य संबंधित स्टार्टअप हितधारकों के लिए एक अद्वितीय एकल विंडो सिस्टम होगा, जिसके माध्यम से वे एक दूसरे से जुड़ सकेंगे। यह प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश

सरकार के स्टार्टअप कार्यक्रम की डिजिटल पहचान होगा और नीति कार्यान्वयन में पारदर्शिता और क्रियान्वयन को काफी हद तक बढ़ाएगा।

इस प्लेटफॉर्म का दायरा और विशेषताएं निम्नलिखित होंगी:

- i. यह स्टार्टअप्स के लिए सभी नीतियों और प्रोत्साहनों का संकलन होगा।
- ii. यह डोमेन विशेषज्ञों और भागीदार संस्थानों को शामिल करके उद्यमिता विकास, स्टार्टअप प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता, नियामक अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण और बाजार पहुंच सहित विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करेगा।
- iii. यह सभी संसाधनों, इनक्यूबेटर्स, आगामी कार्यक्रमों, योजनाओं आदि की सूची प्रदान करेगा।
- iv. वित्तीय/गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों का दावा करने और उनका लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- v. इसे नोडल एजेंसी द्वारा स्थापित और अनुरक्षित किया जाएगा। कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण, नवाचार, अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में कार्यरत सभी एजेंसियों को इस पोर्टल तक पहुंच प्रदान की जाएगी। युवा हब, इनोवेशन हब, इनक्यूबेटर, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस, जिला उद्योग केंद्र (DIC) आदि को स्टार्टअप पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- vi. इसमें DPIIT, BHASKAR और Startup India द्वारा शुरू किए गए MAARG पोर्टल जैसे सरकारी पोर्टलों के साथ API एकीकरण होगा। इसमें भविष्य में किसी भी प्रकार के सुधार या एकीकरण के प्रावधान होंगे।
- vii. यह मेंटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, बौद्धिक संपदा (IP) सेल, ब्रॉडबैंड सेवा, वित्तपोषण एजेंसियां, कॉर्पोरेट टाई-अप आदि जैसे विशेषज्ञों को शामिल करने में सुविधा प्रदान करेगा।
- viii. इस प्लेटफॉर्म का उपयोग स्टार्टअप नीति के तहत इनक्यूबेटर/स्टार्टअप के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए किया जाएगा।
- ix. इनक्यूबेटर/स्टार्टअप/ सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इस प्लेटफॉर्म का उपयोग नोडल एजेंसी को मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए अपने संबंधित प्रोत्साहन दावों को प्रस्तुत करने के लिए करेंगे।
- x. प्लेटफॉर्म नोडल एजेंसी को दैनिक निगरानी के लिए एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) कार्यक्षमता प्रदान करेगा।
- xi. पृच्छाओं/शिकायतों के समाधान के लिए स्टार्टअप पोर्टल के साथ एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन एकीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप के लिए त्वरित संचार सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया तंत्र के साथ एकीकरण सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- xii. स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, मेंटर्स, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस और निवेशकों के बीच सहयोग, मेंटरशिप, साझेदारी आदि के लिए एक क्रॉस-लीवरेजिंग इंटरफेस।
- xiii. नेटवर्किंग को सुगम बनाने के लिए StartinUP पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।

2. यू-हब (डीपटेक हब) की स्थापना - यू-हब (डीपटेक हब) को StartinUP उत्तर प्रदेश सरकार के एक इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सुसंरचित मार्गदर्शन, बुनियादी ढांचा और वित्तपोषण एवं

उद्योग नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करके प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स का पोषण करना है। इस केंद्र का लक्ष्य स्टार्टअप्स के लिए विचार से लेकर विस्तार तक के चरणों में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर नवाचार, उद्यमिता और सतत व्यापार वृद्धि को सहयोग प्रदान करना होगा।

3. ज्ञान केंद्रों के रूप में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE),

i. उत्तर प्रदेश सरकार सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE), के रूप में विश्व स्तरीय अवसंरचना के निर्माण की परिकल्पना करती है। सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में इनक्यूबेशन में परिपक्वता और अनुभव, अनुसंधान एवं विकास के अनुकरणीय मानक होंगे और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. पांच वर्षों में 20 नए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE), की स्थापना की जाएगी, जिनका मूल्यांकन और अनुमोदन सशक्त समिति (EC) द्वारा किया जाएगा।

iii. इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) बनाना है जिसमें भारत और विदेश से उदीयमान प्रौद्योगिकियों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और अन्य गहन तकनीकी क्षेत्रों के साथ-साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और सामाजिक या राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में 50 सबसे होनहार उत्पाद आधारित स्टार्टअप को स्थान दिया जाएगा।

iv. सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) द्वारा चयनित 50 स्टार्टअप को अवसंरचना (इनक्यूबेशन केंद्र, को-वर्किंग स्पेस, उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाएं, उन्नत कंप्यूटर आदि) और उदीयमान प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों को शामिल करके मार्गदर्शन के मामले में पूर्ण सहायता प्रदान करेगा।

v. सरकारी और निजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास संस्थान संगठन/गैर-लाभकारी संगठन/कॉर्पोरेट/उद्योग संघ जैसे मेजबान संस्थान सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) की स्थापना के लिए पात्र होंगे। सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के स्थापना हेतु योग्य संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है अथवा एक्सप्रेसन ऑफ़ इंट्रेस्ट के माध्यम से प्रक्रिया की जा सकती है।

4. इनक्यूबेशन इकोसिस्टम

स्टार्टअप इकोसिस्टम में इनक्यूबेटर सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। इन्हें निजी/सरकारी संस्थानों द्वारा स्टार्टअप कंपनियों को उनके शुरुआती चरणों में सहायता प्रदान करने और एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल विकसित करने के लिए स्थापित किया जाता है।

ये स्टार्टअप्स को विभिन्न संसाधन जैसे कि भौतिक कार्यालय स्थान, कोचिंग, मेंटरिंग, कानूनी और कॉर्पोरेट सेवाएं और नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करते हैं ताकि वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकें।

इनक्यूबेटर का अर्थ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर भी है। स्टार्टअप्स नोडल एजेंसी से वित्तीय प्रोत्साहन के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब उन्हें इनक्यूबेटर की संस्तुति प्राप्त हो और

केवल अपने चरण के अनुरूप ही आवेदन कर सकें। स्केलिंग चरण में या उससे आगे बढ़ चुके स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेटर की संस्तुति अनिवार्य नहीं हैं।

i. राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जनपद में इनक्यूबेटर की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

ii. भौतिक अवसंरचना के अलावा, इनक्यूबेटर्स को इनक्यूबेशन सेवाएं प्रदान करने और स्टार्टअप/अन्य हितधारकों के साथ डिजिटल रूप से जुड़ने के लिए डिजिटल अवसंरचना स्थापित करना भी आवश्यक होगा। उन्हें स्टार्टअप नोडल एजेंसी/ नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को सौंपे गए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के सापेक्ष डिजिटल रूप में इनपुट पैरामीटर, StartinUP पोर्टल के साथ एपीआई एकीकरण (जहां संभव हो) प्रदान करना होगा।

iii. शैक्षणिक संस्थानों/निजी क्षेत्र के सहयोग/साझेदारी के माध्यम से संबंधित विभागों के परामर्श से सेक्टर स्पेसिफिक इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे।

iv. सरकारी और निजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों, प्रबंधन संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, संगठनों/गैर-लाभकारी संगठनों/कॉर्पोरेट/उद्योग संघों जैसे मेजबान संस्थानों को उत्तर प्रदेश में इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मेजबान संस्थानों का चयन उचित जांच-पड़ताल और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के बाद किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से संबंधित राज्य सरकार के विभागों को राज्य भर में इनक्यूबेटर स्थापित करने होंगे, जो समग्र नीति लक्ष्य की कम से कम 50 प्रतिशत पूर्ति करेंगे।

v. इनक्यूबेशन क्षेत्र में समृद्ध अनुभव और मजबूत क्षमता वाले इनक्यूबेटर्स को "नवरत्न" इनक्यूबेटर के रूप में नामित किया जाएगा। राज्य सरकार इन "नवरत्न" इनक्यूबेटर्स के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) करेगी ताकि राज्य में इनक्यूबेशन सुविधाएं स्थापित करने के इच्छुक अन्य मेजबान संस्थानों को मार्गदर्शन, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इन नवरत्न इनक्यूबेटर्स को वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर नामित किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष सशक्त समिति द्वारा इनका चयन/नवीनीकरण किया जाएगा।

vi. महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स में 25% इनक्यूबेशन सीटें महिला संस्थापकों या सह-संस्थापकों वाले स्टार्टअप को प्राथमिकता के आधार पर इस प्रतिबन्ध सहित आवंटित की जाएंगी, कि उनकी महिलाओं की न्यूनतम अंशधारिता 51% हो।

vii. हब एंड स्पोक मॉडल: स्टार्टअप नीति के तहत मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर हब एंड स्पोक मॉडल के तहत काम करेंगे; सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा इनक्यूबेटर-यू हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राज्य के अन्य सैटेलाइट इनक्यूबेटर्स के लिए हब के रूप में कार्य करेंगे। नवरत्न इनक्यूबेटर, जिला स्तर पर स्थापित इन सैटेलाइट इनक्यूबेटर्स की क्षमता निर्माण में सहायता के लिए हब के साथ मिलकर काम करेंगे।

स्तंभ 2: वित्तपोषण सहायता

1. फण्ड ऑफ फण्ड्स

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ रुपये का यूपी स्टार्टअप कोष स्थापित किया है। यह कोष फण्ड ऑफ फण्ड्स के रूप में होगा, जिसमें स्टार्टअप्स में सीधे निवेश नहीं किया जाएगा, अपितु "डॉटर फण्ड्स" में निवेश किया जाएगा, जो अंततः उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में नवोन्मेषी विचारों को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप्स में निवेश करेंगे।

2. बैंकों द्वारा वित्तपोषण

राज्य सरकार द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को MSME ऋण के समान ही स्टार्टअप्स को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए वित्तपोषण के मार्ग सुलभ कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार लीड बैंकों के साथ अतिरिक्त समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगी।

3. उत्तर प्रदेश निवेशक नेटवर्क

उत्तर प्रदेश सरकार एंजेल निवेशकों, वेंचर कैपिटलिस्टों, उच्च नेट वर्थ वाले व्यक्तियों (HNWI), उच्च नेट वर्थ वाले परिवारों (HNWF) और अन्य निवेशकों का एक नेटवर्क बनाने में सहायता करेगी और उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिक वाहन, मेडटेक, रोबोटिक्स, ड्रोन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में उभरते हुए नवोन्मेषी और डीप-टेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए 100 करोड़ रुपये तक का संयुक्त कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

निवेशकों/धन देने वालों को नोडल एजेंसी द्वारा एकत्रित किया जाएगा, जबकि निवेश राशि भाग लेने वाले निवेशकों/ धन देने वालों द्वारा योगदान की जाएगी।

स्तंभ 3: प्रतिभा विकास एवं क्षमता निर्माण

1. शैक्षणिक हस्तक्षेप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना

i. फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम

विश्वविद्यालय/कॉलेज स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

ii. विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में E-Cell की स्थापना

कॉलेज स्तर के छात्रों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन देने हेतु उद्यमिता प्रकोष्ठ (E-Cell) की स्थापना की जाएगी।

2. AKTU में नवाचार केंद्र

तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में एक नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र राज्य के स्कूलों और कॉलेजों द्वारा अपनाए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम के विकास के लिए उत्तरदायी है।

स्तंभ 4 : उद्योग संपर्क

1. ODOP के साथ एकीकरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ODOP योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक क्लस्टर में ODOP उत्पादों का समर्थन करने वाले इन्क्यूबेटर्स को सहायता प्रदान करेगा। विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के साथ संवाद

करने और उन्हें सूक्ष्म उद्यम बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु फील्ड अधिकारियों को नामित करेगा। ये स्टार्टअप नई तकनीकों को अपनाकर या क्रांतिकारी व्यावसायिक मॉडल नवाचारों के माध्यम से ओडीओपी उत्पादों के उत्पादन, विपणन या वितरण तंत्रों की रणनीति बनाने और उनमें नवाचार लाने में सरकार की सहायता कर सकते हैं।

2. NRI संपर्क का लाभ उठाना

नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों तक पहुंचने और उन्हें राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु NRI विभाग और उच्चायोग/दूतावासों के साथ मिलकर काम करेगी।

स्तंभ 5: ईकोसिस्टम संवर्धन

1. ब्रांड संवर्धन और प्रतिभा की पहचान

i. **स्टार्टअप एक्सप्रेस:** राज्य में उद्यमिता विकास के लिए राज्य के विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में "स्टार्टअप एक्सप्रेस" कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कॉलेजों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नामांकित होने से पहले परिसर में एक इनक्यूबेटर/ई-सेल स्थापित करना अनिवार्य होगा।

ii. **स्टार्टअप मेला:** स्टार्टअप एक्सप्रेस कार्यक्रम के समापन को स्टार्टअप मेला के नाम से जाना जाएगा। स्टार्टअप एक्सप्रेस कार्यक्रम के दौरान चयनित स्टार्टअप्स को स्टार्टअप मेला के निर्णायक मंडल के सदस्यों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम के विजेताओं को नोडल एजेंसी के विवेकानुसार, PIU से अनुमोदन के अधीन, रियायती इनक्यूबेशन सहायता, निर्वाह भत्ता, सीड कैपिटल आदि जैसे विभिन्न वित्तीय/गैर-वित्तीय पुरस्कार दिए जाएंगे।

iii. **हैकाथॉन:** भारत सरकार के राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, भारत/विदेश के प्रतिभागियों से नवीन तकनीकी समाधानों की पहचान करने के लिए हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। चयनित तीन सर्वश्रेष्ठ विचारों को इनक्यूबेशन सहायता, वित्तपोषण, मेंटरिंग आदि के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा।

iv. **जूनियर आइडियार्थॉन:** कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के समूहों के लिए नवोन्मेषी विचारों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्रत्येक विचार के लिए, प्रति वर्ष अधिकतम 50 विचारों तक अधिकतम 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

v. **स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम:** राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्टार्टअप केंद्रों से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसी प्रकार, विश्व स्तरीय स्टार्टअप को स्थानीय स्टार्टअप के साथ काम करने और विचारों के आदान-प्रदान हेतु गठजोड़ किया जाएगा।

vi. **बूट कैंप:** स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में बूट कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि परिसरों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।

vii. **स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार घरेलू/वैश्विक स्तर पर आयोजित स्टार्टअप कार्यक्रमों में भाग लेगी।**

viii. प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित करना: स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य में विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

ix. व्यावसायिक योजना प्रतियोगिताएं: शहर, जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों को स्थानीय समुदायों और समाज की समस्याओं के समाधान हेतु नवीन व्यावसायिक विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ विचारों को सम्मानित किया जाएगा।

x. ग्रैंड चैलेंज: उत्तर प्रदेश सरकार एक खुली और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से योग्यता के आधार पर चयनित स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धी अनुदान सहायता तंत्र के माध्यम से 3 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस तरह के ग्रैंड चैलेंज निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्वतंत्र रूप से या राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किए जा सकते हैं।

xi. स्टार्टअप संगोष्ठियां: सरकार दो दिवसीय स्टार्टअप संगोष्ठी का आयोजन करेगी, जिसमें भारत और विदेश के नवप्रवर्तक, इन्क्यूबेटर, निवेशक, उद्योग संघ और शैक्षणिक संस्थान एक साथ आएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्टार्टअप समुदायों को प्रोत्साहित करने और उनसे जुड़ने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम बारी-बारी से आयोजित किया जाएगा।

xii. स्टार्टअप वीक: स्टार्टअप वीक प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। चयनित क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को "प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अवसर" के लिए रुचि व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। पिच/विचार का मूल्यांकन करने वाले पैनल में सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति, निवेशक, मेंटर और बैंकर शामिल होंगे। प्रत्येक चयनित क्षेत्र से दो स्टार्टअप्स का चयन किया जाएगा और उन्हें अपनी अवधारणा को सिद्ध करने के लिए क्रमशः अधिकतम 15 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का कार्य आदेश दिया जाएगा। प्रत्याशा है कि यूपी स्टार्टअप मिशन स्टार्टअप वीक के माध्यम से प्रति वर्ष 14 स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का अवसर प्रदान करेगा।

xiii. राज्य के सरकारी विभागों के साथ जागरूकता कार्यक्रम: यूपी स्टार्टअप मिशन नीति की प्रभावशीलता और जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारी विभागों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

xiv. स्टार्टअप इकोसिस्टम संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता

- मान्यता प्राप्त संगठनों को स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, निवेशक सम्मेलन, हैकथॉन, बूटकैंप, कार्यशालाएं और इन्क्यूबेशन प्रदर्शनियों जैसे प्रभावशाली कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रोत्साहित करके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, जो नवाचार, मार्गदर्शन और निवेश सुविधा को बढ़ावा देते हैं।
- इन्क्यूबेटर, उद्योग संघ, शैक्षणिक संस्थान, गैर-लाभकारी संगठन और इसी तरह की संस्थाओं द्वारा 50 लाख रुपये तक की राशि के लिए प्रस्तुत आवेदनों को प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर PIU द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और 50 लाख रुपये से अधिक के आवेदनों को नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

स्तंभ 6: पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढीकरण एवं सशक्तिकरण

1. राज्य सरकार की खरीद में स्टार्टअप्स को प्राथमिकता

भारत सरकार के अनुसार, स्टार्टअप्स को GeM पोर्टल पर अपने उत्पादों और सेवाओं को सूचीबद्ध करने की सुविधा प्रदान की गई है। GeM पोर्टल, DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को समान अवसर प्रदान करने के लिए, 'पूर्व अनुभव', 'टर्नओवर' और 'EMD जमा करने' के मानदंडों से छूट प्रदान करता है।

GeM पोर्टल पर सूचीबद्ध न किए गए उत्पादों और सेवाओं के लिए, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के MSME विभाग के समन्वय से राज्य के खरीद दिशानिर्देशों में संशोधन करने का प्रयास करेगी ताकि कुल सार्वजनिक खरीद का एक विशिष्ट मूल्य या प्रतिशत स्टार्टअप्स के लिए आवंटित निर्धारित किया जा सके।

2. वार्षिक स्टार्टअप रैंकिंग (UPrate)

उत्तर प्रदेश सरकार के पंजीकृत स्टार्टअप्स के लिए राज्य स्तरीय वार्षिक स्टार्टअप रैंकिंग ढांचा (UPrate) शुरू किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन पूर्वनिर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। वार्षिक रैंकिंग मापदंडों को परिभाषित करने के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई अनुमोदन प्राधिकारी होगी और रैंकिंग एक बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी।

7- प्रोत्साहन:

स्टार्टअप:

1. स्टार्टअप मान्यता एवं पात्रता:

- "स्टार्टअप की परिभाषा" में उल्लिखित पात्र स्टार्टअप पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन StartinUP पोर्टल पर जमा करेंगे।
- कोई भी स्टार्टअप जो उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो और एक नवोन्मेषी विचार या अवधारणा प्रदर्शित करता हो, पात्र है।
- अनुपालन की पूर्ति होने पर जमा किए गए आवेदन को नोडल एजेंसी द्वारा मान्यता के लिए अनुमोदित किया जाएगा।
- प्रोत्साहन स्टार्टअप के चरण के अनुसार होंगे।
- नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए स्टार्टअप का DPIIT और StartinUP प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

अभ्युक्ति: स्टार्टअप्स को अपनी विकास अवस्था के अनुरूप StartinUP द्वारा मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर में इनक्यूबेट होना अनिवार्य होगा और इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करते समय संबंधित इनक्यूबेटर से औपचारिक अनुशंसा प्राप्त करनी होगी।

जो स्टार्टअप्स स्केलिंग चरण में हैं या स्केलिंग चरण से आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए इनक्यूबेशन और इनक्यूबेटर अनुशंसा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।

2. स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन:

नीति के अंतर्गत स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए गए हैं:

i. भरण पोषण भत्ता: स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप चरण तक प्रति स्टार्टअप 20,000 रुपये प्रति माह की दर से त्रैमासिक आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

ii. प्रोटोटाइप अनुदान: स्टार्ट इन यूपी में पंजीकृत स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप विकास के लिए प्रति स्टार्टअप 10 लाख रुपये तक का एकमुश्त प्रोटोटाइप अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्रोटोटाइप चरण में स्टार्टअप्स भी निर्वाह अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। अनुदान दो किस्तों में वितरित किया जाएगा - 70% अग्रिम और 30% प्रतिपूर्ति के आधार पर। प्रस्ताव का मूल्यांकन स्टार्टअप समीक्षा विशेषज्ञ समिति (SRCE) द्वारा किया जाएगा और अनुमोदन एवं वितरण के लिए PIU को अनुशंसित किया जाएगा। स्वतंत्र या तकनीकी रूप से उन्नत एप्लिकेशन विकसित करने वाले सॉफ्टवेयर आधारित स्टार्टअप्स प्रोटोटाइप अनुदान के लिए पात्र माने जाएंगे। बुनियादी वेबसाइटों, सूचना पोर्टलों या सरल मोबाइल एप्लिकेशनों के विकास जैसी सेवाएं प्रदान करने वाले स्टार्टअप, जिनमें पर्याप्त तकनीकी नवाचार नहीं है, इस श्रेणी में शामिल नहीं होंगे।

iii. सीड कैपिटल: कच्चे माल/उपभोग्य सामग्रियों/हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर/पेशेवर सेवाओं/अन्य उपकरणों/औजारों की लागत के लिए प्रति स्टार्टअप अधिकतम 15.00 लाख रुपये, उत्पाद/प्रक्रिया विकास, बाजार अनुसंधान, परीक्षण और प्रयोग, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (MVP) को बाजार में लॉन्च करने के लिए विपणन/प्रचार सहायता के लिए आवश्यक हैं। यह प्रोत्साहन 2 किस्तों (50% + 50%) में दिया जाएगा - पहली किस्त अग्रिम होगी और दूसरी स्टार्टअप द्वारा निर्धारित और पूरी की गई उपलब्धियों पर आधारित होगी। 15 लाख रुपये से अधिक और 50 लाख रुपये तक के लाभों के लिए प्रस्तावों पर केस-टू-केस आधार पर विचार किया जा सकता है, और SRCE की संस्तुति के अधीन नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

iv. जुटाई गई धनराशि पर समतुल्य अनुदान: किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्था या राष्ट्रीय मिशन से धनराशि/निवेश प्राप्त करने वाले स्टार्टअप को जुटाई गई धनराशि के 50% तक समतुल्य सहायता प्राप्त हो सकती है, जो न्यूनतम 2 करोड़ रुपये की पात्रता निधि जुटाने पर अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। सहायता का वितरण आनुपातिक रूप से, उसी फंडिंग राउंड के अनुरूप किया जाएगा जिसमें स्टार्टअप को धनराशि प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए यूपी स्टार्टअप फंड (UPSF) के तहत फंडिंग प्राप्त करने वाले स्टार्टअप तथा किसी अन्य पहल के तहत पुरस्कार/इनाम प्राप्त करने वाले स्टार्टअप इस प्रकार के प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत नहीं होने वाले स्टार्टअप, जिनके पास उत्तर प्रदेश के भीतर उत्पादन/सेवा सुविधा या परिचालन इकाई है और जिसका 50% से अधिक व्यवसाय संचालन उत्तर प्रदेश में है, वे भी समतुल्य अनुदान का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

v. स्टार्टअप्स के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन: EWS/महिला /दिव्यांगजन/ट्रांसजेंडर नेतृत्व/ सह नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को जिनमें उनकी न्यूनतम 51% अंशधारिता हो, या पूर्वांचल या बुंदेलखंड क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय वाले स्टार्टअप्स को, या कृषि-तकनीक/ सर्कुलर इकॉनमी /ग्रामीण प्रभाव/ Waste Management/ स्थिरता/नवीकरणीय ऊर्जा/ जलवायु परिवर्तन क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स को 50% का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर सीड और प्रोटोटाइप अनुदान पर लागू होगा।

vi. नेटवर्किंग सहायता/कार्यक्रम अनुदान: सरकार राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भाग लेने की लागत का 50% तक, अधिकतम 50,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने की लागत का अधिकतम 2 लाख रुपये

तक प्रतिपूर्ति करेगी। स्टार्टअप्स के लिए किसी भी सम्मेलन या कार्यक्रम में भाग लेने से पहले नीति कार्यान्वयन इकाई से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रतिपूर्ति वास्तविक व्ययों खर्चों के आधार पर इस प्रतिबन्ध सहित की जाएगी कि कार्यक्रम के बाद एक उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

vii. स्टार्टअप्स को एक्सेलेरेटर कार्यक्रम सहायता: प्रारंभिक चरण या विस्तार चरण में पात्र स्टार्टअप्स को एक्सेलेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो निम्नलिखित स्तरित(टियर्ड) सीमाओं के अधीन है:-

(क) टियर 1 - राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक्सेलेरेटर: कार्यक्रम शुल्क का 75%, प्रति कार्यक्रम अधिकतम 3,00,000 रुपये;

(ख) टियर 2 - राज्य-मान्यता प्राप्त एक्सेलेरेटर: कार्यक्रम शुल्क का 50%, प्रति कार्यक्रम अधिकतम 2,00,000 रुपये;

(ग) टियर 3 - सूचीबद्ध कार्यक्रम: कार्यक्रम शुल्क का 50%, प्रति कार्यक्रम अधिकतम 1,00,000 रुपये। नीति अवधि के दौरान सभी श्रेणियों में प्रति स्टार्टअप अधिकतम 2 कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। नामांकन से पहले नीति कार्यान्वयन इकाई से पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। प्रतिपूर्ति वास्तविक भुगतान किए गए शुल्क के आधार पर की जाएगी, जिसके साथ शुल्क रसीद और कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। टियर वर्गीकरण को यूपी स्टार्टअप मिशन द्वारा StartinUP पोर्टल पर बनाए रखा जाएगा।

viii. गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति/पेटेंट दाखिल करने की लागत: स्टार्टअप्स को गुणवत्ता प्रमाणन तथा/अथवा पेटेंट फाइलिंग पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित स्लैब के आधार पर प्रदान की जाएगी:-

(1) ₹50 लाख तक के पात्र व्यय पर **100% प्रतिपूर्ति**, बशर्ते कि SRCE की संस्तुति पर नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा इसे स्वीकृति दी जाए;

(2) ₹50 लाख से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक के वर्धित पात्र व्यय के हिस्से पर **75% प्रतिपूर्ति**; यह प्रतिपूर्ति नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) एवं कार्यकारी समिति (EC) की संस्तुति पर माननीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात प्रदान की जाएगी;

(3) ₹1 करोड़ से अधिक एवं ₹2 करोड़ तक के वर्धित पात्र व्यय के हिस्से पर **50% प्रतिपूर्ति**; यह प्रतिपूर्ति नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) एवं कार्यकारी समिति (EC) की संस्तुति पर माननीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात प्रदान की जाएगी।

मान्यता प्राप्त संस्थाओं से गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स ही इस प्रावधान के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे।

ix. सावधि ऋणों पर ब्याज सब्सिडी - अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए सावधि ऋणों पर 4% प्रति वर्ष की दर से या वास्तविक ब्याज जो भी कम हो, उस पर ब्याज उपादान प्रदान किया जाएगा, जो 3 साल की अवधि के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक होगा, और सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन, ऋणदाता को अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

x. EPF/ ESI की प्रतिपूर्ति - राज्य सरकार पात्र स्टार्टअप्स द्वारा भुगतान किए गए कर्मचारी भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) के लिए नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति 3 वर्षों की अवधि के लिए करेगी, ताकि राज्य में औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।

पात्रता मानदंड:

- आवेदक StartinUP में पंजीकृत स्टार्टअप होना चाहिए।
- यह योजना राज्य भर के सभी स्टार्टअप पर लागू है।
- नियोक्ता का अंशदान प्रति कर्मचारी 21,000 रुपये से कम होना चाहिए (कर्मचारी डेटा का सत्यापन ईपीएफ/ईएसआई विभागों के माध्यम से किया जाएगा)।
- कर्मचारी कंपनी के वेतनमान में होना चाहिए।
- आवेदन की तिथि पर कंपनी का परिचालन 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. डीपटेक स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन:

i. डीपटेक स्टार्टअप्स के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता (प्रोटोटाइप और सीड अनुदान) - डीपटेक स्टार्टअप्स जिनके प्रस्तावों का गहन मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE)/ डीपटेक हब/ इनोवेशन हब द्वारा प्रोटोटाइप ग्रांट और सीड ग्रांट के लिए अनुशंसित किया जाता है, वे बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के पात्र होंगे, जिसमें स्वीकृत प्रोत्साहन राशि को मानक स्टार्टअप प्रोत्साहन राशि से दोगुना तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा इसे अनुमोदित किया जाए।

ii. पेशेंस कैपिटल - लंबी विकास अवधि वाले उच्च-प्रभाव वाले डीपटेक नवाचारों के विकास में तेजी लाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार पात्र डीपटेक इनोवेशन स्टार्टअप्स को निरंतर अनुसंधान, उत्पाद सत्यापन और व्यावसायीकरण को सक्षम बनाने के लिए "पेशेंस कैपिटल" प्रदान करेगी।

- पेशेंस कैपिटल प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप प्रस्ताव को नवरत्न इन्क्यूबेटर्स द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए और उन नवरत्न इन्क्यूबेटर्स के मेजबान संस्थान के निदेशक द्वारा औपचारिक रूप से संस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्ताव को नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अनुशंसित किया जाएगा, तत्पश्चात सशक्त समिति द्वारा एवं अन्ततः माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदित किया जाएगा।
- इस प्रावधान के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम चार (4) डीपटेक इनोवेशन स्टार्टअप को सहायता प्रदान की जाएगी प्रत्येक स्टार्टअप को INR 40 करोड़ तक की धनराशि प्रदान की जाएगी। एवं कुल आवंटन एक वर्ष में INR 100 करोड़ से अधिक नहीं होगा। प्रत्येक स्टार्टअप के लिए स्वीकृत राशि का निर्धारण प्रौद्योगिकी तत्परता, पूंजी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा, और स्वीकृत राशि नवरत्न इनक्यूबेटर को दी जाएगी, जो आगे चयनित स्टार्टअप को वितरित करेगी।
- "पेशेंस कैपिटल" पर रिटर्न को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित IP commercialization share, राजस्व हिस्सेदारी और इक्विटी/परिवर्तनीय उपकरणों के लचीले संयोजन के माध्यम से संरचित किया जाएगा,

जिसमें Revenue Linked return capped IP commercialization share और long-tenure convertible equity शामिल हैं।

- समर्थित स्टार्टअप परिपक्वता पर उत्तर प्रदेश को अपना गृह राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकांश स्केल-अप, विनिर्माण और भविष्य के अनुसंधान एवं विकास कार्यों को राज्य के भीतर ही बनाए रखेंगे।

iii. रॉयल्टी आधारित अनुसंधान एवं विकास समतुल्य अनुदान - राज्य सरकार सत्यापित अनुसंधान एवं विकास व्यय के 40% तक का समतुल्य अनुदान नॉन -डाइल्यूटिव अनुदान के रूप में प्रदान करती है। यह अनुदान स्टार्टअप द्वारा 1 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व पार करने के बाद ही 3% राजस्व रॉयल्टी के रूप में वापस किया जाएगा। उत्पाद के व्यावसायीकरण में विफल रहने पर यह अनुदान वापस नहीं किया जाएगा।

iv. स्टार्टअप को कंप्यूटर पावर के लिए प्रोत्साहन - पात्र स्टार्टअप्स को डेटा सेंटर और/या क्लाउड सेवाओं पर किए गए वास्तविक खर्चों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 2 लाख रुपये तक की प्रतिपूर्ति प्राप्त हो सकती है। इस लाभ का दावा करने के लिए न्यूनतम वार्षिक व्यय 50,000 रुपये होना आवश्यक है। 50,000 रुपये से अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति 50% होगी, जो प्रति वर्ष 2 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है।

4. प्रोत्साहन प्रक्रिया

स्टार्टअप्स को अपने वर्तमान चरण के अनुसार, इनक्यूबेटर की अनुशंसा के साथ, StartinUP पोर्टल पर आवेदन करना होगा।

स्टार्टअप आवेदनों का मूल्यांकन सेक्टर स्पेसिफिक SRCE द्वारा किया जाएगा और नोडल एजेंसी को अनुशंसा की जाएगी। नोडल एजेंसी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अंतिम अनुमोदन किया जाएगा, जिसके बाद वित्तीय प्रोत्साहन राशि सीधे स्टार्टअप के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन राशि के चयन और वितरण संबंधी दिशानिर्देश नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे, जिन्हें नीति में सुधार के लिए नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा संस्तुति के पश्चात सशक्त समिति के अनुमोदन से पुनः संशोधित किया जा सकता है।

5. स्टार्टअप्स को सहायता

StartinUP द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में दो वर्ष के लिए निःशुल्क इन्क्यूबेशन प्रदान किया जाएगा।

B. इनक्यूबेटर

1. इनक्यूबेटर की मान्यता और पात्रता

i. StartinUP द्वारा मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर।

ii. यूपी स्टार्टअप नीति के तहत मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक मेजबान संस्थानों को निम्नलिखित मापदंडों की पूर्ति करना आवश्यक होगा:

- **स्थान:** शैक्षणिक संस्थानों के लिए 10,000 वर्ग फुट और व्यावसायिक स्थान पर स्थित इन्क्यूबेटर्स के लिए 5,000 वर्ग फुट।
- **समर्पित इनक्यूबेशन टीम:** इनक्यूबेटर को नियमित संचालन के प्रबंधन के लिए एक समर्पित इनक्यूबेशन मैनेजर और सहायक के रूप में 2 अन्य टीम सदस्यों को नियुक्त करना होगा।
- **को-वर्किंग स्पेस:** इनक्यूबेटर को प्रति सीट कम से कम 50 वर्ग फुट का को-वर्किंग स्पेस बनाना होगा।
- **मीटिंग रूम:** स्टार्टअप द्वारा क्लाइंट मीटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले समर्पित मीटिंग रूम उपलब्ध होने चाहिए।
- **कॉन्फ्रेंस रूम:** स्टार्टअप संस्थापकों के लिए छोटे कार्यक्रमों या मेंटरिंग कक्षाओं के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होना चाहिए।
- **कैफेटेरिया/जलपान क्षेत्र:** स्टार्टअप्स और इनक्यूबेशन सेंटर में काम करने वाले/आने वाले आगंतुकों के लिए जलपान क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।

2. इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रोत्साहन

i. पूंजीगत व्यय अनुदान: StartinUP द्वारा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी इन्क्यूबेटर्स के लिए प्रौद्योगिकी अवसंरचना स्थापित करने/बढ़ाने पर पूंजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति पात्र राशि के 50 प्रतिशत तक की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 करोड़ रुपये (पूर्वांचल/बुंदेलखंड क्षेत्रों के लिए ₹1.50 करोड़ तक) है। पहली किस्त अधिकतम सीमा के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी। इन्क्यूबेटर्स द्वारा इसके लिए तिमाही आधार पर आवेदन किया जाएगा। सरकारी इन्क्यूबेटर्स को पूंजीगत अनुदान केवल असाधारण मामलों में, सशक्त समिति की स्वीकृति के बाद ही दिया जाएगा।

ii. परिचालन व्यय अनुदान: इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्यय को आच्छादित करने के लिए प्रति वर्ष 40 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता 5 वर्षों तक या आत्मनिर्भर होने तक, जो भी पहले हो, दी जाएगी। 2 अथवा अधिक पंजीकृत स्टार्टअप वाले इनक्यूबेटर इन व्ययों का दावा करने के पात्र होंगे। 10 पंजीकृत स्टार्टअप का लक्ष्य प्राप्त होने तक आनुपातिक रूप से व्यय का दावा किया जा सकता है, जिसके बाद वे शेष अवधि के लिए 40 लाख रुपये की पूरी राशि का दावा करने के पात्र हो जाते हैं। परिचालन व्यय सहायता का वर्ष-दर-वर्ष जारी रहना पूरी तरह से इनक्यूबेटर के कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, जिसका मूल्यांकन बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित, नोडल एजेंसी द्वारा जारी और नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अनुमोदित इनक्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाएगा। परिचालन व्यय के लिए वैध सहायक दस्तावेज़ जैसे कि इनवॉइस, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित सदुपयोगिता प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहले वर्ष के लिए छूट प्रदान की जाएगी, जिसमें कम से कम 2 पंजीकृत स्टार्टअप होने की आवश्यकता को माफ कर दिया जाएगा। हालांकि, पूर्ण परिचालन व्यय सहायता प्राप्त करने के लिए पहले वर्ष के अंत तक इनक्यूबेटर के पास कम से कम 10 पंजीकृत स्टार्टअप होने चाहिए। वे इनक्यूबेटर जिन्होंने संचालन के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन कोई परिचालन व्यय अनुदान प्राप्त नहीं किया है या पहले केवल आंशिक परिचालन व्यय सहायता प्राप्त की है, वे भी अन्य मानदंडों और प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन इस प्रावधान के तहत पात्र माने जाएंगे।)

अभ्युक्ति: परिचालन अनुदान का दावा करने के लिए कोई इनक्यूबेटर तभी पात्र होगा जब उसके परिसर में स्टार्टअप्स को भौतिक रूप से इनक्यूबेट किया जा रहा हो। वर्चुअल रूप से इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स को इस उद्देश्य के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

- StartinUP पोर्टल पर किए गए निःशुल्क इन्क्यूबेशन अवधि के बाद, इन्क्यूबेटर अपने समझौते के अनुसार को-वर्किंग स्पेस और मेंटरशिप सत्रों के उपयोग के लिए स्टार्टअप्स से शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- परिचालन अनुदान की 55-60% राशि इन्क्यूबेशन केंद्र के समर्पित कर्मचारियों के वेतन के लिए और शेष 40-45% राशि इन्क्यूबेशन केंद्र के रखरखाव, पेशेवर सेवाओं और कार्यक्रमों एवं आउटरीच के लिए उपयोग की जाएगी।

अभ्युक्ति: परिचालन अनुदान का उपयोग कड़ाई से और विशेष रूप से इन्क्यूबेशन केंद्र से प्रत्यक्ष रूप संबंधित संसाधनों, गतिविधियों और व्ययों के लिए किया जाएगा। इस नीति में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए धन का उपयोग अनुमत नहीं होगा।

- इन्क्यूबेशन प्रबंधक की नियुक्ति के लिए चयन मानदंड और इन्क्यूबेटरों के लिए प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए दिशानिर्देश नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

iii. एकसीलेरेशन कार्यक्रम: एकसीलेरेशन कार्यक्रम अल्प से मध्यम अवधि के मेंटरिंग कार्यक्रम हैं जो स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय के विस्तार में सहायता प्रदान करते हैं, जब वे बाजार में औपचारिक रूप से उत्पाद लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

- प्रति स्टार्टअप 1,00,000 रुपये तक का मैचिंग अनुदान, प्रति कार्यक्रम अधिकतम 10,00,000 रुपये, पैनल में शामिल संस्थानों को प्रति वर्ष प्रति संस्थान अधिकतम 5 कार्यक्रमों के लिए दिया जाएगा, ताकि प्रारंभिक विकास या विस्तार चरण में पात्र स्टार्टअप्स के लिए न्यूनतम 12 सप्ताह का एकसीलेरेशन कार्यक्रम चलाया जा सके। इस नीति के तहत प्रति वर्ष अधिकतम 100 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों की कुल संख्या और प्रति संस्थान ऐसे कार्यक्रमों की संख्या की सीमा को नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर सशक्त समिति द्वारा शिथिल किया जा सकता है। कार्यक्रम चलाने के लिए पात्र सक्षम संस्थानों में शामिल हैं: भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समर्थित या मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर; SEBI-पंजीकृत एंजेल निवेशक; बैंक और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान; उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के साथ सूचीबद्ध निजी एक्सेलेरेटर जिनके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।
- **अपवाद** - दोहरी वसूली पर रोक: इस खंड के तहत किसी विशिष्ट कार्यक्रम समूह के लिए मैचिंग अनुदान का दावा करने वाला संस्थान, उन्हीं स्टार्टअप प्रतिभागियों से कार्यक्रम शुल्क प्राप्त नहीं कर सकता जिनके लिए स्टार्टअप पक्ष से प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है। यदि कोई स्टार्टअप प्रतिपूर्ति का दावा करता है, तो संचालक संस्थान को StartinUP पोर्टल पर प्रमाणित करना होगा कि उसने उस स्टार्टअप से सरकारी प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक कार्यक्रम शुल्क नहीं

लिया है और न ही लेगा। ✓ **परिणाम रिपोर्टिंग और पैनल में शामिल होने का नवीनीकरण:** इस मैचिंग अनुदान का दावा करने वाले संस्थानों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर यूपी स्टार्टअप मिशन को एक वार्षिक कार्यक्रम परिणाम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) प्रति समूह स्नातक हुए स्टार्टअप्स की संख्या; (ii) 12 महीनों के भीतर बाहरी निवेश प्राप्त करने वाले स्नातकों का प्रतिशत; (iii) समूह कंपनियों की कुल राजस्व वृद्धि; (iv) सृजित रोजगार की संख्या।
- पैनल में सदस्यता का नवीनीकरण वार्षिक रूप से किया जाएगा। जो संस्थान लगातार दो वर्षों तक परिणाम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, या जिनकी कोहोर्ट फंडिंग रूपांतरण दर लगातार दो वर्षों तक 10% से कम रहती है, उन्हें नीति कार्यान्वयन इकाई के विवेकानुसार पैनल से बाहर किया जा सकता है।

iv.नवरत्न इनक्यूबेटर: सभी नवरत्न इनक्यूबेटर्स को इनक्यूबेशन क्षमताओं को विकसित करने/बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 30 लाख रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।

- नवरत्न इनक्यूबेटर्स के चयन और उन्हें प्रोत्साहन राशि वितरित करने के लिए दिशानिर्देश नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

v.वार्षिक इनक्यूबेटर रैंकिंग: इसी द्वारा अनुमोदित केपीआई ढांचे के अनुसार राज्य स्तरीय वार्षिक इनक्यूबेटर रैंकिंग शुरू की जाएगी। आवधिक मूल्यांकन करने और रैंकिंग निर्धारित करने के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा।

vi.स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त गई फंडिंग के लिए पुरस्कार: उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स को उनके द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स के द्वारा प्राप्त गई फंडिंग धनराशि का 2% (अधिकतम 50 लाख रुपये तक) पुरस्कार के रूप में देगी। यह प्रोत्साहन यूपी-स्टार्टअप फंड के तहत स्टार्टअप्स द्वारा जुटाई गई धनराशि पर लागू नहीं होगा।

3. इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन देने का प्रावधान

- प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने वाला इनक्यूबेटर StartinUP द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- नीति के तहत इनक्यूबेटर के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक पूंजी और परिचालन व्यय का दावा कर सकते हैं।
- मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत किए गए KPI/ target compliance report और आवश्यक सहायक दस्तावेजों के आधार पर यूपी स्टार्टअप मिशन द्वारा इनक्यूबेटर्स की कार्य-प्रदर्शन समीक्षा और त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाएगा।
- इनक्यूबेटर्स द्वारा खराब प्रदर्शन, अर्थात् अनिवार्य 70% केपीआई लक्ष्य प्राप्ति और कम से कम 80% अनुदान को 2 साल की अवधि में उपयोग न करने पर, उनकी मान्यता निरस्त करने पर विचार किया जायेगा।
- नीति के तहत इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन देने के लिए जारी किए गए अलग-अलग दिशानिर्देशों के माध्यम से नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा अन्य नियम और शर्तें निर्धारित की जाएंगी।
- इनक्यूबेटर आवेदकों को StartinUP पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और वे नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे और इस नीति के तहत अनुदान के लिए अनुमोदित होंगे।

- इनक्यूबेटर के प्रस्ताव में निःशुल्क इनक्यूबेशन अवधि के दौरान इनक्यूबेट किए जाने वाले स्टार्टअप से किसी भी प्रकार की इक्विटी राशि नहीं ली जाएगी
- मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि StartinUP निधि का उपयोग करके एक डेडीकेटेड इन्फ्रास्ट्राक्चर स्पेस बनाया गया है। इनक्यूबेटर को यह भी पुष्टि करनी होगी कि इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य निधि नहीं जुटाई गई है। हालांकि, वे भारत सरकार की योजनाओं/प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन किसी अन्य राज्य नीति/योजना के माध्यम से नहीं।

मेंटर:

4. StartinUP पोर्टल पर मान्यता के लिए पात्रता:

- i. मेंटर्स का MAARG और StartinUP पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- ii. मेंटर स्टार्टअप्स को विभिन्न चरणों में संरचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे।
- iii. मेंटर्स की प्रमुख जिम्मेदारियों में स्टार्टअप विकास, व्यवसाय मॉडल सत्यापन और उत्पाद-बाजार अनुकूलता के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है। यह मेंटर्स डोमेन विशेषज्ञता, धन जुटाने संबंधी मार्गदर्शन, बाजार संपर्क, नेटवर्किंग और परिचालन या नियामक चुनौतियों के समाधान के माध्यम से स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करेंगे।

C. सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE)

1. सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE), की प्रक्रियाएं और दिशा-निर्देश:

उत्तर प्रदेश सरकार स्थापना तिथि से 5 वर्षों की अवधि के दौरान सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) को अनुदान सहायता (पूंजी और परिचालन व्यय सहित) के रूप में 12 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह प्रत्याशा की जाती है कि 5 वर्षों के अंत तक सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE), आत्मनिर्भर हो जाएंगे।

5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) नीति के अन्तर्गत स्टार्ट-इन-यूपी से संबद्ध रहेगा; यद्यपि आगे कोई वित्तीय अनुदान सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

अपवादस्वरूप मामलों में, 5 वर्ष की मूल अवधि पूर्ण होने के बाद सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) के वित्तीय प्रोत्साहन को अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान दी जाने वाली राशि, पहले से अनुमोदित प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त अधिकतम 40% तक होगी। बशर्ते कि नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति के आधार पर सशक्त समिति द्वारा इसे अनुमोदित किया जाए।

क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, एआर/वीआर, रोबोटिक्स, स्पेसटेक, डिफेंस टेक, एग्रीटेक, एडुटेक, हेल्थटेक और सामाजिक या राष्ट्रीय महत्व के अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE), की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) को वित्तीय सहायता का वितरण सशक्त समिति के निर्णय पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, सरकार द्वारा निधियों/प्रोत्साहनों का निर्गमन उनकी कार्यक्षमता पर निर्भर करेगा।

2. सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) के लिए लक्ष्य और परिणाम:

सेंटर ऑफ़ एकसीलेंस (CoE) किसी भी समय कम से कम 50 स्टार्टअप के लिए इनक्यूबेशन क्षमता का निर्माण करेगा। सेंटर ऑफ़ एकसीलेंस (CoE) का लक्ष्य पांच वर्षों की अवधि में 100 स्टार्टअप को स्नातक करना है, मुख्य रूप से आईटी और संबंधित क्षेत्रों में, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, ऊर्जा, कृषि व्यवसाय और अन्य उभरते क्षेत्रों से कम से कम 100 स्टार्टअप शामिल हैं।

सेंटर ऑफ़ एकसीलेंस (CoE) स्टार्टअप जीवनचक्र के दौरान संपूर्ण सहायता प्रदान करेगा, जिसमें विचार निर्माण, सत्यापन, प्रोटोटाइपिंग, उत्पाद विकास, बाजार पहुंच और विस्तार शामिल हैं। स्टार्टअप को व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने पर जोर दिया जाएगा। तदनुसार, CoE से स्नातक होने वाले स्टार्टअप से पर्याप्त उत्पादन या सेवा वितरण क्षमता स्थापित करने, बाजार में अपनी पकड़ प्रदर्शित करने और बाजार में सक्रिय उपस्थिति, स्पष्ट रूप से परिभाषित राजस्व मॉडल और विकास क्षमता की अपेक्षा की जाती है।

सेंटर ऑफ़ एकसीलेंस (CoE) अपने लाभार्थी स्टार्टअप को नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने की सिफारिश भी कर सकता है।

D. स्टार्टअप/इनक्यूबेटर/ सेंटर ऑफ़ एकसीलेंस (CoE) के लिए गैर-वित्तीय प्रोत्साहन:

- i. भारत सरकार द्वारा किए गए श्रम सुधारों, जिनमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल हैं, के अनुरूप, राज्य द्वारा स्टार्टअप्स के लिए एक सहायक और सक्षम नियामक वातावरण प्रदान किया जायेगा ताकि व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा दिया जा सके। श्रम कानूनों के मामले में, निगमन की तिथि से 3 से 5 वर्षों की अवधि तक कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा। उल्लंघन की विश्वसनीय और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त होने पर स्टार्टअप्स का निरीक्षण किया जा सकता है, जो लिखित रूप में दायर की गई हो और निरीक्षण अधिकारी से कम से कम एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।
- ii. स्टार्टअप्स को तीन-शिफ्ट संचालन की अनुमति दी जाएगी, जिसमें रात में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल होंगी। यह अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि ऐसी इकाइयां कर्मचारियों की सुरक्षा, कल्याण और संरक्षा के संबंध में निर्धारित सावधानियां बरतें, साथ ही लागू श्रम कानूनों के तहत निर्धारित आवश्यक कल्याण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करें।
- iii. राज्य सरकार राष्ट्रीय श्रम कानूनों के लागू प्रावधानों के अनुसार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और निश्चित अवधि के कर्मचारियों की नियुक्ति सहित लचीली रोजगार प्रथाओं को बढ़ावा देगी। स्टार्टअप्स को नियामक आवश्यकताओं को सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए StartinUP पोर्टल के माध्यम से एक सरलीकृत और डिजिटल एकल-खिड़की अनुपालन तंत्र विकसित किया जाएगा।
- iv. राज्य सरकार उभरते सुधारों और नए व्यावसायिक मॉडलों के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की समय-समय पर समीक्षा और युक्तिकरण करेगी।

8- गवर्नेन्स

स्टार्टअप नीति 2026 के प्रभावी कार्यान्वयन, निगरानी और निर्णय लेने के लिए 4 स्तरीय गवर्नेन्स संरचना जिम्मेदार होगी।

गवर्नेन्स संरचना का ढांचा इस प्रकार है:-

1. उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी (Steering Committee)

स्टीयरिंग कमेटी का कार्य निर्धारित परिकल्पना, मिशन और लक्ष्यों के आधार पर नीतिगत परिणामों की वार्षिक आधार पर निगरानी और समीक्षा करना होगा, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना, इन्क्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि का अनुमोदन और वितरण, राज्य में इन्क्यूबेटर्स की मान्यता और स्थापना, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क में राज्य का प्रदर्शन आदि शामिल हैं। समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार हैं:

माननीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

माननीय एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

माननीय पर्यटन मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

माननीय मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवसंरचना एवं उद्योग विकास आयुक्त (IIDC), उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

2. उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति (Empowered Committee) का गठन किया जाएगा।

- i. राज्य स्तरीय सशक्त समिति नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मामलों अथवा नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा निर्णय लेने के लिए संदर्भित किसी अन्य मुद्दे पर आवश्यक निर्णय लेगी।
- ii. समिति का कार्यक्षेत्र विभिन्न विभागों द्वारा इनक्यूबेटर स्थापित करने, क्षेत्रीय निधि स्थापित करने, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश को भारत के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में स्थान दिलाने के संबंध में नीति के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित होगा।
- iii. समिति नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में इन्क्यूबेटर्स के कार्य-प्रदर्शन के आवधिक मूल्यांकन के लिए प्रमुख कार्य-प्रदर्शन संकेतक (KPI) भी अनुमोदित करेगी। इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन एक बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- iv. समिति सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) के लिए अनुदान सहायता, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए पेशेंस कैपिटल और गुणवत्ता प्रमाणन/पेटेंट दाखिल करने की लागत प्रतिपूर्ति के विशेष मामलों को माननीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- v. इस समिति को नीति की स्पष्टता या व्याख्या प्रदान करने और नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी चुनौती का समाधान करने का अधिकार होगा।
- vi. इस समिति में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, वित्त, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, एमएसएमई, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, परिवहन, ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी विकास और आयोग अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्देशित किसी अन्य विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव शामिल होंगे।
- vii. नीति के अंतर्गत गठित सशक्त समिति नीति में संशोधन का निर्णय लेगी।

3. उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) का गठन किया जाएगा।

- i. नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन के संबंध में नोडल एजेंसी के कार्यों की निगरानी के लिए किया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार निर्णय लेना भी शामिल है, जैसे कि इन्क्यूबेटर्स की मान्यता, स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति, स्टार्टअप फंड का शुभारंभ और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन कार्यक्रमों की स्वीकृति।
- ii. PIU स्टार्टअप नोडल एजेंसी के माध्यम से स्टार्टअप हितधारकों को लागू प्रोत्साहनों के लिए संस्तुतियां और अनुमोदन प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होगी।
- iii. यह उनकी शिकायतों का समय पर निवारण करेगी और आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करेगी।
- iv. PIU आवश्यकतानुसार मामलों को आगे विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए सशक्त समिति (EC) को सन्दर्भित कर सकती है।

v. PIU की अन्य जिम्मेदारियों में शासकीय प्राधिकारियों के साथ समन्वय, उद्योग संघों के साथ जुड़ाव, स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों, कॉर्पोरेट्स को शामिल करना, नीति का प्रचार करना आदि शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

4. स्टार्टअप समीक्षा विशेषज्ञ समिति (SRCE) में उद्योग, शिक्षा जगत, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजेल निवेशक, मेंटर, सरकारी प्रतिनिधि, वित्तपोषण एजेंसियों और स्थापित/प्रमुख स्टार्टअप के सदस्य शामिल होंगे, जो नीति के प्रावधानों के अनुसार स्टार्टअप के प्रोत्साहन प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुशंसा करेंगे।

i. SRCE नीति के तहत स्टार्टअप के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायित्व प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (ACS/PS) को जवाबदेह होगी। SRCE द्वारा मूल्यांकन पर की गई अनुशंसाएं नोडल एजेंसी के माध्यम से PIU को भेजी जाएंगी।

ii. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन PIU की स्वीकृति के बाद निम्न उल्लिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सेक्टर-स्पेसिफिक स्टार्टअप समीक्षा विशेषज्ञ समिति (कुल 7 सदस्य, PIU की स्वीकृति के बाद इसमें संशोधन/विस्तार किया जा सकता है) का नामांकन करेगा। यह समिति स्टार्टअप आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और नोडल एजेंसी को अनुशंसाएं भेजेगी, जिन्हें अंतिम स्वीकृति और प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए PIU को भेजा जाएगा।

iii. समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे:

✓ तकनीकी और गैर-तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के विषय विशेषज्ञ (SME), जिन्हें यूपी स्टार्टअप मिशन द्वारा PIU से उचित अनुमोदन के बाद नामित किया जाएगा।

✓ निवेशक (एंजल निवेशक, HNI, VC, आदि), मेंटर और निजी उद्योग विशेषज्ञ जो स्टार्टअप में निवेश या मूल्यांकन करने में निपुण हों।

✓ StartinUP द्वारा मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि SRCE के सदस्य नहीं होंगे।

iv. किसी भी स्टार्टअप में इक्विटी रखने वाला कोई भी व्यक्ति SRCE के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा।

अतिरिक्त संस्थागत तंत्र:

- उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक **सलाहकार समिति** का गठन किया जाएगा।

यह सलाहकार समिति राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन्क्यूबेटर्स, स्टार्टअप्स, एक्सेलेरेटर्स और अन्य हितधारकों के लिए एक विचार-मंथन केंद्र के रूप में कार्य करेगी। समिति में इन्क्यूबेटर्स, वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ), फंड प्रबंधकों, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के संकाय सदस्यों, सफल स्टार्टअपों और अन्य संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर सुधार में सहयोग हेतु सशक्त समिति को रणनीतिक सुझाव, इनपुट और प्रतिक्रिया प्रदान करेगी, जिसे आगे स्टीयरिंग कमेटी के विचारार्थ भेजा जाएगा।

- **उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन** की स्थापना की जाएगी, जो इस नीति के कार्यान्वयन के लिए एकल खिड़की और नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधीन की जाएगी और यह इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

अभ्युक्ति: उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना और उसका संचालन शुरू होने तक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया जाता रहेगा।

9- दिशा-निर्देश एवं संशोधन

- इस नीति के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशा-निर्देश, जिनमें इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण शामिल हैं, नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) द्वारा जारी किए जाएंगे।
- नीति के कार्यान्वयन के दौरान, आवश्यकता पड़ने पर, स्टार्टअप, इनक्यूबेटर और सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों को माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की स्वीकृति से, सशक्त समिति की अनुशंसा के आधार पर, 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

10- परिभाषाएँ

1. स्टार्टअप:

भारत सरकार द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2026 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 108(ई) के माध्यम से परिभाषित शर्तों को पूरा करने पर किसी संस्था को स्टार्टअप माना जाएगा। यह अधिसूचना राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 127(ई) दिनांक 19 फरवरी, 2019 और उसके पश्चातवर्ती संशोधनों के स्थान पर जारी की गई है। इस अधिसूचना में, किसी संस्था को स्टार्टअप माना जाएगा।

क. 'स्टार्टअप' से तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो—

- i. भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित) के रूप में निगमित या पंजीकृत हो, या साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) या सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत) या केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समिति (बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत) या भारत में संबंधित सहकारी समिति रजिस्ट्रार के पास किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समिति हो;
- ii. अपने निगमन या पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष की अवधि के भीतर हो;
- iii. निगमन या पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में दो सौ करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार न करती हो;
- iv. और उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार की दिशा में काम कर रहा है, या रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता वाला एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है।

बशर्ते कि, इस अधिसूचना के अंतर्गत 'डीप टेक स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त इकाई के मामले में:

(क) खंड (ii) में निर्दिष्ट अवधि उसके निगमन या पंजीकरण की तिथि से बीस वर्ष तक होगी; और

(ख) खंड (iii) में निर्दिष्ट कारोबार सीमा निगमन या पंजीकरण के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए तीन सौ करोड़ रुपये होगी।

इसके अतिरिक्त, बशर्ते कि किसी मौजूदा व्यवसाय के विभाजन या पुनर्गठन द्वारा गठित इकाई को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।

स्पष्टीकरण:

इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, कोई इकाई अपने निगमन या पंजीकरण की तिथि से दस वर्ष पूरे होने पर, या यदि किसी पूर्व वर्ष में उसका कारोबार दो सौ करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है, तो स्टार्टअप नहीं रहेगी। बशर्ते कि, इस अधिसूचना के अंतर्गत डीप टेक स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त इकाई के मामले में, ऐसी इकाई अपने निगमन या पंजीकरण की तिथि से बीस वर्ष पूरे होने पर, या यदि किसी पूर्व वर्ष में उसका कारोबार तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है, तो डीप टेक स्टार्टअप नहीं रहेगी।

2. इनक्यूबेटर: इनक्यूबेटर स्टार्टअप्स को प्लग एंड प्ले सुविधाएं, मीटिंग/कॉन्फ्रेंस रूम/ऑफिस स्पेस और साझा प्रशासनिक सेवाएं, हाई-स्पीड इंटरनेट आदि प्रदान करके सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इनक्यूबेटर राज्य/केंद्र सरकार के सहयोग से स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, प्रशिक्षण, वित्तपोषण, कानूनी सेवाएं, लेखा सेवाएं, तकनीकी सहायता, नेटवर्किंग गतिविधियां, विपणन सहायता आदि जैसी विभिन्न सेवाएं भी प्रदान करेंगे।

3. मेजबान संस्थान: मेजबान संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित या भारत सरकार द्वारा स्थापित और संचालित प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास संस्थान हैं, जो राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेटर स्थापित करने पर केंद्रित हैं।

4. एक्सेलरेशन कार्यक्रम: एक्सेलरेशन कार्यक्रम कम से कम 12 सप्ताह की अवधि का एक संरचित, समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे गहन मेंटरशिप, बाजार पहुंच सुविधा, निवेशक तत्परता प्रशिक्षण और सहकर्मी समूह शिक्षण के माध्यम से उत्पाद-प्रकाशित स्टार्टअप्स के विकास को गति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्सीलरेशन प्रोग्राम, इनक्यूबेशन से अलग होते हैं:

इनक्यूबेशन बुनियादी ढांचा और प्रारंभिक चरण का समर्थन प्रदान करता है — जबकि एक्सीलरेशन प्रोग्राम विशेष रूप से उन स्टार्टअप्स के लिए व्यवसाय विस्तार, राजस्व वृद्धि और निवेश तत्परता पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्होंने उत्पाद विकास पूरा कर लिया है और प्रारंभिक ट्रेक्शन या स्केलिंग चरण में हैं।

इस नीति के अंतर्गत पात्र होने के लिए एक एक्सेलरेशन कार्यक्रम को निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना होगा:

- ✓ कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 12 सप्ताह होनी चाहिए और यह समूह मॉडल पर आधारित होना चाहिए, जिसमें प्रति समूह कम से कम 5 स्टार्टअप शामिल हों।
- ✓ यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के पैनल में शामिल किसी संगठन द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और नीचे परिभाषित तीन श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आना चाहिए।

- ✓ पाठ्यक्रम में कम से कम निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: निवेशक प्रस्तुति की तैयारी, वित्तीय मॉडल की समीक्षा, बाजार में प्रवेश की रणनीति और कम से कम 2 डेमो डे या निवेशक संपर्क कार्यक्रम।
- ✓ कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टार्टअप से भागीदारी की शर्त के रूप में इक्विटी नहीं ली जानी चाहिए।

• **टियर वर्गीकरण:**

- ✓ **टियर 1** - राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक्सेलरेटर: DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त एक्सेलरेटर, एसईबीआई में पंजीकृत एआईएफ जिनके पास एक्सेलरेशन का जनादेश है, या 50 या उससे अधिक स्नातक कंपनियों के सत्यापित पोर्टफोलियो वाले अंतर्राष्ट्रीय एक्सेलरेटर (उदाहरण: वाई कॉम्बिनेटर, टेकस्टार्स, टी-हब लैब32, सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी-आधारित एक्सेलरेटर)।
- ✓ **टियर 2** - राज्य-मान्यता प्राप्त एक्सेलरेटर: उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा समर्थित संरचित एक्सेलरेशन कार्यक्रम चलाने वाले इनक्यूबेटर; एक्सेलरेशन कार्यक्रम चलाने वाले एसईबीआई में पंजीकृत एंजेल नेटवर्क; सत्यापित स्टार्टअप एक्सेलरेशन कार्यक्रम चलाने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान; कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत और न्यूनतम 20 स्नातक कंपनियों वाले निजी एक्सेलरेटर।
- ✓ **टियर 3** - सूचीबद्ध कार्यक्रम: यूपी स्टार्टअप मिशन के साथ सूचीबद्ध अन्य सभी संस्थान जो ऊपर दी गई शर्तों (क) से (घ) को पूरा करते हैं, जिनमें शैक्षणिक संस्थान, उद्योग संघ और उभरते एक्सेलरेटर शामिल हैं।

- टियर वर्गीकरण को यूपी स्टार्टअप मिशन द्वारा StartinUP पोर्टल पर बनाए रखा और प्रकाशित किया जाएगा और इसे वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाएगा।

5. वेंचर कैपिटल फंड: ये निवेश फंड उन निवेशकों से धन का प्रबंधन करते हैं जो मजबूत विकास क्षमता वाले स्टार्टअप में इक्विटी हिस्सेदारी चाहते हैं। इन निवेशों को आम तौर पर उच्च जोखिम/उच्च प्रतिफल वाले अवसरों के रूप में देखा जाता है।

6. एंजेल निवेशक: ये निवेशक छोटे स्टार्टअप या उद्यमियों को प्रारंभिक चरण की सीड फंडिंग प्रदान करते हैं। एंजेल निवेशक को SEBI, बैंकों या उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा अनुमोदित इनक्यूबेशन केंद्रों के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

7. महिला आधारित स्टार्टअप: महिला नेतृत्व वाला स्टार्टअप वह स्टार्टअप है जिसका स्वामित्व महिलाओं या महिलाओं के समूह के पास है और जिसमें कम से कम 51% इक्विटी है, और जो DPIIT और StartinUP के साथ पंजीकृत है।

8. पूर्वांचल आधारित स्टार्टअप: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के किसी भी जिले में पंजीकृत स्टार्टअप।

- **Ayodhya Region:** Ayodhya, Ambedkar Nagar, Sultanpur, Amethi
- **Gorakhpur Region:** Gorakhpur, Deoria, Maharajganj, Kushinagar
- **Prayagraj Region:** Prayagraj, Kaushambi, Fatehpur, Pratapgarh
- **Varanasi Region:** Varanasi, Chandauli, Jaunpur, Ghazipur

- **Mirzapur Region:** Mirzapur, Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra
- **Azamgarh Region:** Azamgarh, Ballia, Mau
- **Devipatan Mandal:** Gonda, Bahraich, Balrampur, Shravasti
- **Basti Region:** Basti, Sant Kabir Nagar, Siddharth Nagar

9. बुंदेलखंड आधारित स्टार्टअप: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी भी जिले में पंजीकृत स्टार्टअप।

- **Jhansi Region:** Jhansi, Jalaun, Lalitpur
- **Chitrakoot Region:** Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba

10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): भारत सरकार द्वारा परिभाषित एक श्रेणी, जिसमें सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के वे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं हैं तथा जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र है।

11. ट्रांसजेंडर: वह व्यक्ति जिसकी लैंगिक पहचान जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती, जैसा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत परिभाषित है, और जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र है।

12. दिव्यांगजन: विकलांग व्यक्ति जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षमताओं से ग्रसित हैं जो समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती हैं, जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत परिभाषित है, और जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विकलांगता प्रमाण पत्र है।

13. न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी): न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) किसी उत्पाद का सबसे सरल संस्करण होता है जिसमें केवल वे मुख्य विशेषताएं शामिल होती हैं जो प्रारंभिक उपयोगकर्ताओं के लिए किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक होती हैं। इससे स्टार्टअप को कम से कम संसाधनों के साथ तेजी से लॉन्च करने, मान्यताओं का परीक्षण करने और वास्तविक उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया एकत्र करने में मदद मिलती है।

14. पेशेंस कैपिटल: स्टार्टअप्स को दी जाने वाली दीर्घकालिक, जोखिम-सहनशील वित्तीय सहायता, जो आईपी मुद्दीकरण हिस्सेदारी, राजस्व हिस्सेदारी और श्रमदान/मार्गदर्शन इक्विटी/परिवर्तनीय साधनों के लचीले संयोजन के माध्यम से संरचित होती है। इसमें राजस्व-लिंक्ड रिटर्न, सीमित आईपी व्यावसायीकरण हिस्सेदारी और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों (सीसीपीएस) के रूप में दीर्घकालिक परिवर्तनीय इक्विटी शामिल हैं। यह तत्काल रिटर्न की अपेक्षा नहीं करती है और विस्तारित नवाचार, अनुसंधान और विकास के साथ संरेखित है।

15. डीपटेक इनोवेशन: प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग सफलताओं पर आधारित है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत सामग्री, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा प्रौद्योगिकियां, स्वच्छ ऊर्जा,

अर्धचालक, एयरोस्पेस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग या इसी तरह की उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। इसमें उत्पाद विकास में उच्च अनुसंधान एवं विकास तीव्रता और लंबी अवधि शामिल होती है।

16. सर्कुलर इकॉनमी: सर्कुलर इकॉनमी एक आर्थिक मॉडल को संदर्भित करती है जो टिकाऊ उत्पादन और उपभोग प्रथाओं को बढ़ावा देकर अपशिष्ट को कम करने, संसाधनों का पुनः उपयोग करने, सामग्रियों का पुनर्चक्रण करने और प्राकृतिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। सर्कुलर इकॉनमी के क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण, संसाधन पुनर्प्राप्ति, टिकाऊ पैकेजिंग, मरम्मत और नवीनीकरण, पुनर्निर्माण, औद्योगिक सहजीवन, जैव-आधारित सामग्री, कृषि अपशिष्ट उपयोग, जल पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल उपचार, ई-अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट पुनर्चक्रण, नवीकरणीय और टिकाऊ सामग्री, उत्पाद जीवन विस्तार, साझा अर्थव्यवस्था मंच और सर्कुलर सप्लाई श्रृंखला जैसे क्षेत्र और गतिविधियां शामिल हैं।

17. पेटेंट दाखिल करने की लागत: किसी आविष्कारक को नवीन, आविष्कारशील और औद्योगिक अनुप्रयोग के योग्य और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए आविष्कार के निर्माण, उपयोग, बिक्री या आयात के अनन्य अधिकार प्रदान करता हो, के बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए किया गया व्यय।

18. गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति: किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए की गई प्रतिपूर्ति, जो इस बात की पुष्टि करती है कि कोई उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रदर्शन या विश्वसनीयता के निर्धारित मानकों का अनुपालन करती है।

19. स्टार्टअप का सफल विकास (Graduating): स्टार्टअप के सफल विकास का अर्थ है उस चरण तक पहुंचना जहां स्टार्टअप सफलतापूर्वक विकसित हो चुका हो, अपने व्यावसायिक मॉडल को सिद्ध कर चुका हो, और प्रारंभिक चरण के इनक्यूबेशन या एक्सेलरेशन प्रोग्राम से स्वतंत्रता और विस्तार के अगले चरण में जाने के लिए तैयार हो।

ध्यानाकर्षण: "उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026" के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रूपान्तर है, अतएव विषय-वस्तु सम्बन्धी किसी असंगति/संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय-वस्तु ही मान्य होगी।



सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पता: 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
फ़ोन नंबर: 0522-2286808, 2286809, 2286812
ईमेल: info@itpolicyup.gov.in
एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ०प्र०

संलग्नक -2



Uttar Pradesh Startup Policy 2026



**Department of IT & Electronics,
Government of Uttar Pradesh**

1- Preamble

India's startup revolution is reshaping the future of innovation and Uttar Pradesh stands at the forefront of this transformation. Powered by digital advancement and a new generation of ambitious entrepreneurs, the State is witnessing the rise of ideas that have the potential to create impact at scale. This journey acknowledges that while some startups achieve success, others may fall short and both results play an essential role in shaping a resilient and continuously evolving innovation ecosystem.

Uttar Pradesh, with its vast demographic dividend, expanding knowledge base and growing industrial footprint, is uniquely positioned to harness this momentum. Recognizing the transformative potential of startups in driving economic development, employment generation and regional balance, the State is committed to fostering a vibrant and resilient startup ecosystem that empowers innovators and supports enterprise creation across sectors.

Over the years, through progressive policies and sustained efforts, Uttar Pradesh has laid a strong foundation for a thriving startup ecosystem. The Uttar Pradesh Startup Policy 2026 marks a renewed commitment to this journey-focusing on collaboration, inclusivity and innovation across sectors. These initiatives have laid a strong foundation by providing enabling support in the form of financial incentives, incubation infrastructure, capacity building and market linkages.

By enabling access to capital, mentorship, infrastructure and markets, the State aims to unlock entrepreneurial potential at every level. Uttar Pradesh aspires to emerge as one of India's leading startup destinations, driving not only economic growth but also meaningful social transformation.

2- Vision

To transform Uttar Pradesh by catalysing the growth of an innovation-driven entrepreneurial ecosystem to achieve wholesome and inclusive socio-economic development.

3- Mission

The policy aims to diversify avenues for strengthening the State startup ecosystem in a well-organized and synchronized approach by pushing a performance-driven approach for all startup ecosystem enablers. It seeks to nurture and support startups in Uttar Pradesh, enabling them to grow into successful and sustainable ventures in the State.

4- Goals

- a) To position Uttar Pradesh among the top startup ecosystems in India and establish the State as a leading destination for entrepreneurship and innovation.
- b) To promote innovation in emerging technologies such as Artificial Intelligence, Quantum Computing, Blockchain and other deep-tech domains, as well as in priority sectors including Agri-Tech, Rural-Tech, Space-Tech, Defence-Tech, Edu-Tech, Health-Tech and other areas of social and national significance; and to develop district-level innovation clusters aligned with sectoral strengths, including One District One Product (ODOP)-based industries, to drive localized economic growth.
- c) To facilitate the establishment of successful startups and provide a policy that enables them to grow and remain anchored in Uttar Pradesh, thereby expanding the entrepreneurial base and supporting the development of a robust and sustainable startup ecosystem across the State.
- d) To expand the network of incubation centres and enhance incubation and acceleration infrastructure across Uttar Pradesh, including the establishment of a State-of-the-art “U-Hub Innovation Hub” as a premier incubation facility.
- e) To establish and strengthen a comprehensive network of high-quality incubators, accelerators and sector-focused Centre of Excellence across the State.
- f) To strengthen the startup pipeline by fostering a culture of innovation and entrepreneurship across schools, higher education institutions and incubation Centres.
- g) To enhance access to capital for startups by facilitating linkages with institutional and angel investors, while leveraging government-backed financial support mechanisms; and to enable market access by encouraging government departments and public agencies to act as early adopters and anchor customers.
- h) To build a skilled and entrepreneurship-oriented workforce through the integration of startup-focused education, skilling initiatives and mentorship programme.
- i) To improve the ease of doing business for startups by ensuring simplified regulatory processes, provision of single-window support and time-bound approvals.

5- Policy Period and Applicability

- a) The Uttar Pradesh Startup Policy 2026 shall remain in force for a period of five (5) years from the date of its notification.
- b) The provisions of the Uttar Pradesh Startup Policy 2020 (First Amendment 2022) shall continue to remain in effect until the date of notification of the Uttar Pradesh Startup Policy 2026.
- c) All Startups, Incubators, Centre of Excellence (CoEs) and other beneficiaries approved, recognized, or sanctioned incentives before the notification of the Uttar Pradesh Startup Policy 2026 shall continue to be governed by and remain eligible under, the provisions of the Uttar Pradesh Startup Policy 2020 (First Amendment 2022).

- d) The cases which are under evaluation and awaited for the approval by the PIU/PMIC under the Uttar Pradesh Startup Policy 2020 (First Amendment 2022) shall be granted a one-time option to either continue under the provisions of the said Policy or opt for consideration under the Uttar Pradesh Startup Policy 2026, within a period of three months from the date of notification of this policy. The above mentioned option shall be subject to the approval of the PIU, based on the recommendation of the Startup Review Committee of Experts (SRCE), and the final decision in this regard shall rest with the PIU.
- e) The Uttar Pradesh Startup Policy 2026 shall be sector-agnostic and shall apply to startups operating across all sectors within the State.
- f) AKTU Corpus Fund:
- i. As per the provisions of the earlier UP Startup Policy 2020, a corpus of INR 150 Crores was provisioned by the Department of IT and Electronics and facilitated through Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University. The said corpus shall continue to be operationalized along with an additional corpus of INR 250 Crores through the designated-UP Startup Mission under the administrative control of the Department of IT and Electronics/ Nodal agency. Thus, the total corpus available will amount to INR 400 Crores.
 - ii. From the said corpus, financial support shall be provided for the following heads covered under the policy-
 - All types of grants and financial assistance for incubators mentioned in this policy as per the provisions of the policy.
 - All types of financial assistance for startups mentioned in this policy as per the provisions of the policy.
 - Seed Capital to startups shall be given from AKTU Corpus Fund and then reimbursed to Seed Capital Fund from GoUP.
 - Grants to Centre of Excellence established in the State as per the policy provisions.
 - Financial assistance for Organizing Startup Ecosystem Promotion Events/Activities.
- g) Convergence with Central and State Policies
- All DPIIT and StartinUP registered startups are eligible to avail benefits under all policies launched by the Central Government and the Government of Uttar Pradesh.

6- The Uttar Pradesh Startup Policy 2026 is structured around Six key pillars that collectively aim to strengthen and sustain the State's startup ecosystem:

1. **Infrastructure Development** – Enhancing physical and digital infrastructure to support startup ecosystem.

2. **Funding Support** – Facilitating access to financial resources through government-backed schemes and linkages with private investors.
3. **Talent Development & Capacity Building** – Building a skilled and innovation-driven workforce through education, skilling and capacity-building initiatives.
4. **Industry Connect** – Promoting collaboration between startups, industry, academia and government to enable market access and innovation.
5. **Ecosystem Promotion** – Promoting and positioning Uttar Pradesh as a leading startup destination through strategic branding, outreach initiatives, ecosystem partnerships and targeted promotional activities at the State, National and International levels.
6. **Ecosystem Strengthening & Enablement** – Strengthening the depth and quality of the startup ecosystem through institutional capacity building, stakeholder engagement, policy support mechanisms and continuous improvement of support structures for startups and enablers.

Pillar 1: Infrastructure Development

1. **StartinUP Online Portal:** Online StartinUP Platform shall be an integrated web platform which is a one-of-its-kind single-window systems for startups, investors, incubators, mentors, CoEs and other relevant startup stakeholders to engage with each other. This platform shall be the digital identity of the startup programme of GoUP and will substantially enhance transparency and execution of policy implementation.

The scope and features of the platform will be as follows:

- i. It will be a compendium of all policies and incentives for startups.
- ii. It shall offer access to various capacity building programme and courses including entrepreneurship development, startup management, financial literacy, regulatory compliance, intellectual property rights (IPR), technology commercialization and market access, through onboarding of domain experts and partner institutions.
- iii. It shall provide a listing of all resources, incubators, upcoming events, schemes, etc.
- iv. Shall offer online submission of applications to claim and avail financial/non-financial incentives.
- v. It will be set up and maintained by the nodal agency. Access to this portal shall be given to all the agencies working in the areas of skill development, youth empowerment, innovation, research and development. Yuva Hub, Innovation Hub, Incubators, CoEs, District Industries Centre (DIC) etc. shall be integrated with Startup portal.
- vi. It will have API Integration with government portals such as DPIIT, BHASKAR and MAARG Portal launched by Startup India. It will have provisions for any future enhancements or integrations.
- vii. Shall facilitate the onboarding of experts such as Mentors, Chartered Accountants, Lawyers, Intellectual Property (IP) Cell, broadband service, funding agencies, corporate tie-ups etc.

- viii. The platform shall be used for online registration of incubators/startups under the Startup Policy.
 - ix. Incubators/Startups/CoEs shall use the platform to submit their respective incentive claims to the nodal agency for evaluation and approval.
 - x. Platform shall offer a comprehensive Management Information System (MIS) functionality to the nodal agency for day-to-day monitoring.
 - xi. A dedicated toll-free helpline will be integrated with the startup portal for resolution of queries/grievances. Additionally, support will also be provided along with integration of social media mechanisms to ensure faster communication for startups.
 - xii. Cross leveraging interface for collaborations, mentorships, partnerships, etc. between Startups, Incubators, Accelerators, Mentors, CoEs and Investors with each other.
 - xiii. An online platform shall be provided on the StartinUP Portal to facilitate networking for startups.
2. **Establishment of U-Hub:** U-Hub will be established as an incubation Centre of StartinUP, GoUP to nurture early-stage startups by providing structured mentoring, infrastructure and access to funding and industry networks. The Centre will aim to support innovation, entrepreneurship and sustainable business growth by creating an enabling ecosystem for startups from ideation to scale-up stages.
3. **Centre of Excellence as Knowledge Centres:**
- i. Government of Uttar Pradesh envisages the creation of world class infrastructure in the form of Centre of Excellence (CoE). CoE shall possess maturity and experience in incubation, exemplary standards of R&D and promote best practices for nurturing entrepreneurship.
 - ii. The establishment of 20 new Centres of Excellence (CoEs) over five years is proposed, and the proposals shall be evaluated and approved by the Empowered Committee (EC).
 - iii. The intent is to create a world class Centre of Excellence which will house 50 most promising product based Startups from India and abroad in the domain of Emerging Technologies Quantum Computing, Artificial Intelligence & Machine Learning, Blockchain, Additive Manufacturing and other deep tech areas as well as sectors like, Space-Tech, Defence-Tech, Agri-tech, Edu-Tech, Health-Tech and other areas of social or national importance.
 - iv. The CoE will provide complete support to the 50 selected startups in terms of infrastructure (incubation Centre, co working space, product testing labs, advanced computers etc.) and mentorship by onboarding key experts in the field of emerging technologies and management.
 - v. Host Institutes like Government and Private Technical colleges, Management institutes, R&D Institutes / Non-Profit Organization/ Corporates / Industry Associations shall be eligible to establish CoE. The proposals may be submitted independently by eligible entities, or may be invited through a formal Expression of Interest (Eoi).
4. **Incubation Ecosystem**

Incubators are the most critical component of the startup ecosystem. They are established by private/government host institutes to support startup companies during their early stages of life to develop a scalable business model.

They provide startups with various resources such as physical office space, coaching, mentoring, legal & corporate services and providing network connections to grow their business.

An incubator shall also mean a Technology Business Incubator recognized by the Government of India. Startups may apply for financial incentives from the Nodal Agency only after receiving recommendation from the incubators and only in accordance with their stage. Incubator recommendations are not mandatory for startups that are at the scaling stage or have progressed beyond it.

- i. The State Government shall promote establishment of incubators in each district of the State.
- ii. Apart from physical infrastructure, Incubators shall also be required to set up digital infrastructure to offer incubation services and engage with startups/other stakeholders digitally. They will be required to provide input in digital form parameters, API integration with StartinUP Portal, wherever possible, against Key Performance Indicators assigned by the Startup Nodal Agency/PIU to all GoUP recognized incubators.
- iii. Sector specific incubators shall be established in consultation with respective departments through collaboration/partnership with academic institutions/private sector.
- iv. Host institutes like Government and Private Technical Colleges, Management Institutes, R&D Institutes, organizations /non-profit organizations/corporates/industry association shall be encouraged to establish Incubators in Uttar Pradesh. The selection of host institutes shall be done after due diligence and fulfilment of the laid down guidelines. State Government Departments pertaining to Technical Education, Higher Education, Agriculture Education, Medical Education and MSME shall be required to set up incubators across the State, put together at least 50 percent of the overall policy target.
- v. Incubators having rich experience and strong capabilities in the incubation field shall be nominated as “Navratna” Incubators. The State Government shall enter into an MoU with these “Navratna” incubators to guide, mentor and handhold other Host Institutes willing to establish Incubation facilities in the State. These Navratna incubators will be nominated based on Annual incubator performance and shall be selected/renewed by EC every year.
- vi. Women led startups: 25% of incubation seats in incubators recognized by the Government of Uttar Pradesh shall be preferentially allocated to startups with women founders or co-founders, subject to a minimum of 51% women equity.
- vii. Hub & Spoke Model: Incubators recognized under the startup policy will work under a Hub & Spoke model; where Incubator being developed by Department of IT & Electronics - U Hub and Centre of Excellence will act as Hub for other satellite incubators in the State. The Navratna incubators will work closely with Hub to assist in capacity building of these satellite incubators set up at District level.

Pillar 2 Funding Support

1. Fund of Funds

The Government of Uttar Pradesh has established INR 1000 Crores UP Startup Fund for providing access to finance to startups in Uttar Pradesh. This fund shall be in the form of fund of funds wherein it shall not invest directly into the startups, but rather it shall make investment in “Daughter Funds,” which would ultimately invest in startups engaged in innovative ideas/activities across all sectors in Uttar Pradesh.

2. Funding by Banks

The State government shall encourage Banks and other Financial Institutions to extend their lending facilities to startups on the similar lines of MSME lending. GoUP shall sign additional MOUs with Lead Banks to create funding avenues for startups.

3. UP Investor Network

The Government of Uttar Pradesh shall facilitate creation of a network of Angel Investors, Venture Capitalists, High Net Worth Individuals (HNWIs), High Net Worth Families (HNWFs) and other investors and encourage them to create an aggregated corpus of up to INR 100 Crores to support emerging innovative and deep-tech startups in areas such as Artificial Intelligence, Machine Learning, Electric Vehicles, MedTech, Robotics, Drones and other disruptive technologies across sectors.

The investors/Funders are aggregated by the Nodal Agency, while the investment amount shall be contributed by the participating investors/funders.

Pillar 3 Talent Development & Capacity Building

1. Fostering innovation through academic intervention

i. Faculty Development Programme

Universities/colleges shall organize faculty development programme to promote innovation and entrepreneurship at the college level.

ii. Establish E-Cells in Universities, colleges and schools

Entrepreneurship Cell (E-Cell) would be established to encourage and support college-level students to start their own enterprise.

2. Innovation Hub at AKTU

An Innovation hub has been established at Abdul Kalam Technical University with the help of the Department of Technical Education from its own Budget. The Centre is responsible for the development of Entrepreneurial Curriculum to be adopted by schools and colleges in the State.

Pillar 4 Industry Connect

1. Integration with ODOP

The Department of MSME shall support incubators supporting ODOP products in each of the identified clusters under the ODOP scheme. The department shall nominate Field Officers to interact with

startups in their respective regions and encourage them to become a Micro Enterprise. These startups could assist the Government in strategizing and innovating the production, marketing, or distribution mechanisms of ODOP products by introducing new technologies or even through disruptive business model innovations.

2. **Leveraging the NRI Connect**

Nodal Agency shall work with NRI Department and Higher Commission/Embassies in reaching out to UP Diaspora and encourage them to contribute to building the startup ecosystem in the State.

Pillar 5 Ecosystem Promotion

1. **Brand Promotion and Recognition of Talent**

- i. **Startup Express:** The State shall organize the “Startup Express” programme across various colleges/universities for entrepreneurship development in the State. The colleges participating in the programme shall be required to establish an incubator/E-Cell within the campus before being nominated to participate in the programme.
- ii. **Startup Mela:** This culmination of the Startup Express programme shall be known as the Startup Mela. Startups selected during the Startup Express event shall be invited to present their ideas to the jury members of Startup Mela. The winners of the programme shall be given various financial/non-financial rewards such as subsidized incubation support, sustenance allowance, Seed Capital etc. at the sole discretion of the Nodal Agency subject to approval from the PIU.
- iii. **Hackathons:** As required by the State Startup Ranking Framework of GoI, hackathons will be organized to identify innovative technological solutions from participants across India/ abroad. The top three shortlisted ideas shall be rewarded in the form of incubation support, funding, mentoring, etc.
- iv. **Junior Ideathon:** District level competitions for innovative ideas for the student groups from 8th to 12th standards shall be rewarded with a maximum amount of INR 25,000 per idea to the Idea team up to 50 ideas per year.
- v. **Startup Exchange Programme:** National/International programmes shall be introduced to garner knowledge and experience from global startup destinations to enhance the startup culture in the State. Similarly, tie-ups shall be made to bring world class startups to work and exchange ideas with local startups.
- vi. **Boot Camps:** Boot camps shall be organized at schools/ colleges/ universities to foster the culture of innovation and entrepreneurship within the campuses.
- vii. GoUP shall participate in the startup events organized domestically/globally in order to promote startup policy.
- viii. **Organize Competitions and Events:** Various events and competitions will be organized in State to stimulate and provide national and international exposure to the start-up ecosystem.

- ix. **Business Plan Competitions:** City-, District- and State-level competitions will be organized inviting school and college students to propose innovative business ideas to address issues faced by local communities and society-at-large. The best ideas shall be felicitated.
- x. **Grand Challenges:** The Government of UP shall extend financial support up to INR 3 Crores through a competitive grant-in-aid mechanism to scaling stage startups selected on merit through an open and transparent evaluation process. Such Grand Challenges may be organized by the State Government, in accordance with prescribed guidelines.
- xi. **Start-Up Symposia:** The Government will organize a two-day Start-Up Symposium, which would bring together innovators, incubators, investors, industry associations and academic institutions from across India and beyond. The event will rotate between major cities of Uttar Pradesh in order to engage and encourage the start-up communities in these geographies.
- xii. **Startup Week:** Startup week will be celebrated every year. Start-ups will be invited through an expression of interest in selected sectors for “Proof of concept opportunity”. Panel to evaluate the pitch/idea would include government officials, renowned industry players, investors, mentors and bankers. Two start-ups from each selected sector will be selected and awarded a work order of an amount of maximum INR 15 Lakhs and INR 10 Lakhs respectively to prove their concept. It is expected that UP Startup Mission may provide proof of concept opportunity to 14 start-ups every year through the startup week.
- xiii. **Sensitization Programme with State Government Departments:** UP Startup Mission shall conduct sensitization programmes with various State government departments to increase the effectiveness and awareness of the policy.
- xiv. **Financial Assistance for Organizing Startup Ecosystem Promotion Events:**
 - To strengthen the startup ecosystem by encouraging recognized organizations to host impactful events such as startup summits, investor meets, hackathons, bootcamps, workshops and incubation expos that foster innovation, mentorship and investment facilitation.
 - The Applications submitted by Incubators, Industry Associations, Academic Institutions, Non-profit organizations and similar entities for the amount up to INR 50 Lakhs will be approved by the PIU on the basis of proposal received and the application beyond INR 50 Lakhs will be approved by the EC on the recommendation of the PIU.

Pillar 6 Ecosystem Strengthening & Enablement

1. Preference to Startups in State Government Procurement

As per GoI, the startups have been provided with functionality to list their products and services on GeM portal. The GeM portal provides exemption to Startups from criteria of ‘prior experience’, ‘turnover’ and ‘submission of EMD’ to provide equal opportunity to DPIIT recognized startups.

For products and services not listed on GeM portal, the Government will strive to amend the Procurement Guidelines of the State in coordination with the Department of MSME, Govt of UP to earmark a specific value or percentage of total public procurements allocated for startups.

2. Annual Startup Ranking (UPrate)

State level annual startup ranking framework (UPrate) shall be introduced for GoUP registered startups which will be evaluated based on predefined parameters. The PIU shall be the approval authority for defining the annual ranking parameters and the ranking will be conducted by an external agency.

7- Incentives:

A Startups:

1. Startup Recognition & Eligibility:

- The eligible startup as mentioned in the “definition of startup” will submit the complete application on the StartinUP portal.
- Any startup that is incorporated in Uttar Pradesh and demonstrates an innovative idea or concept.
- The submitted application will be approved for recognition by the nodal agency subject to fulfilment of compliance.
- Incentives will be as per stage of startup.
- The Startup needs to be registered on DPIIT and StartinUP platform to be eligible for incentives under the policy.

Note: Startups shall be required to be incubated at a StartinUP-recognized incubator, commensurate with their stage of development and obtain a formal recommendation from the respective incubator at the time of applying for incentives under this policy.

Startups that are in the scaling stage or have progressed beyond the scaling stage shall be exempted from the requirement of incubation and incubator recommendation for the purpose of availing incentives under this policy.

2. Incentives for startups:

The policy introduces the following incentives to Support the Startups under the policy:

- i. **Sustenance Allowance:** Sustenance allowance at the rate of INR 20,000 per month per startup payable on a quarterly basis for a period of two-years shall be given to startups till prototype stage.
- ii. **Prototype Grant:** A one-time Prototype Grant of up to INR 10 Lakhs per startup shall be provided to StartinUP registered startups for prototype development. Startups at the prototype stage shall also be eligible to avail sustenance grant. The grant shall be disbursed in two tranches- 70% upfront and 30% on a reimbursement basis. The proposal shall be evaluated by Startup Review

Committee of Experts (SRCE) and recommended to PIU for approval and disbursement. Software-based startups developing standalone or technically advanced applications shall be considered eligible for the prototype grant. Startups providing services such as development of basic websites, informational portals, or simple mobile applications without substantial technological innovation shall not be considered under this category.

- iii. **Seed Capital:** Maximum INR 15 Lakhs per startup for cost of raw materials/ consumables/hardware & software/professional services /other equipment/ tools required for prototype refinement / product/ process development, Market research, Testing & trials, Marketing/ publicity assistance to launch the Minimum Viable Product (MVP) in the market. This incentive shall be given in 2 tranches (50% + 50%) - the first being advance and second will be based on the milestones committed and fulfilled by the startup. Proposals seeking benefits of more than INR 15 Lakhs and up to INR 50 Lakhs may be considered on a case-to-case basis and will be approved by the PIU subject to recommendation from the Startup Review Committee of Experts (SRCE).
- iv. **Matching grant on fund Raised:** For a start-up that has received funds/investments from any recognized national/international body or national mission, may receive matching assistance of 50% of the fund raised, up to a maximum of INR 5 Crores on minimum qualifying fund raise of INR 2 Crores. Assistance will be disbursed proportionately, aligned with the same funding rounds in which the startup receives funds. Startups that have received funding under UP Startup Fund (UPSF) launched by GoUP and rewards/prize money under any initiative shall not be eligible for this type of incentive. Startups not registered in Uttar Pradesh, but having production/service facility or operational unit with **more than 50% business operations** within Uttar Pradesh, shall also be eligible to avail the Matching Grant.
- v. **Additional Incentive for Startups:** An additional incentive of 50% shall be provided to Startups:
 - Founded/co-founded by EWS-led/ Women-led/ Divyangjan-led/ Transgender-led/ with minimum 51% shareholding or
 - Startups having registered offices in Purvanchal or Bundelkhand region or
 - Startups working in the sectors Agri-tech, Circular Economy, Rural Impact, Waste Management, Sustainability, Renewable Energy and Climate Change sectors. This additional incentive shall be applicable on seed and prototype grant based on the submitted proposal.
- vi. **Networking Support/ Event Grant:** Government will reimburse 50% of the cost of attending national conferences/events up to INR 50,000 and for attending international conferences/ events up to a maximum of INR 2 Lakhs. It will be mandatory for startups to obtain prior approval

from the PIU before participating in any conference or event. Reimbursement shall be based on actual expenses, subject to submission of an achievement report after the event.

- vii. **Accelerator programme support for startups:** Reimbursement shall be provided to eligible startups at Early Traction or Scaling stage for participation in an Acceleration Programme, subject to the following tiered limits:

- (a) Tier 1 — National/International Recognized Accelerators: 75% of programme fee, maximum INR 3,00,000 per programme;
- (b) Tier 2 — State-Recognized Accelerators: 50% of programme fee, maximum INR 2,00,000 per programme;
- (c) Tier 3 — Empanelled Programmes: 50% of programme fee, maximum INR 1,00,000 per programme.

Support will be extended to maximum 2 programmes per startup during the policy period, across all tiers. Prior approval from the PIU is mandatory before enrolment. Reimbursement shall be based on actual fee paid, supported by fee receipt and programme completion certificate. Tier classification shall be maintained by the UP Startup Mission on the StartinUP portal.

- viii. **Quality Certification Reimbursement/ Patent filing cost:** Startups will receive reimbursement of costs incurred for quality certification/ patent filing on a slab basis as follows:

- (i) 100% reimbursement on eligible expenditure up to ₹50 lakh subject to approval by the PIU based on the recommendation of Startup Review Committee of Experts (SRCE)
- (ii) 75% reimbursement on the portion of eligible expenditure exceeding ₹50 lakh and up to ₹1 crore on approval by the Hon. Cabinet on the recommendation of the PIU and the EC;
- (iii) 50% reimbursement on the portion of eligible expenditure exceeding ₹1 crore and up to ₹2 crore on approval by the Hon. Cabinet on the recommendation of the PIU and the EC;

Startups who have obtained the Quality certification from the recognized bodies shall be considered eligible under this provision.

- ix. **Interest Subvention on the Term Loans** - Interest subsidy shall be provided at 4% per annum subvention on Term Loans or actual interest paid which is lower on the loans obtained from scheduled banks / financial institutions subject to a maximum of up to INR 2 Crores for a period of 3 years, paid to lender on half-yearly basis subject to submission of a supporting documents.
- x. **Reimbursement of Provident Fund (PF)/ Employees' State Insurance (ESI)** - The State Government shall reimburse the Employer's contribution towards Provident Fund (PF) and Employees' State Insurance (ESI) paid by eligible startups, to promote formal employment generation in the State for a duration of 3 years.

Eligibility criteria for reimbursement of PF/ ESI:

- The applicant should be a startup registered with StartinUP
- Applicable for all the startups across the State
- The employer's contribution should be less than INR 21,000 per employee (Employee data will be verified through PF/ESI departments)
- The employee should be on the payrolls of the company
- Company should not be operating for more than 3 years on the date of application

3. Incentive for Deep Tech Startups:

- Enhanced Financial Assistance for Deep-Tech Startups (Prototype and Seed Grants)-** Deep-tech startups whose proposals undergo rigorous evaluation and are recommended by the concerned **Centre of Excellence (CoE)/ Deep Tech Hub/ Innovation Hub** for Prototype Grant and Seed Grant shall be eligible **for enhanced financial assistance, wherein the approved incentive amount shall be increased up to twice the standard startup incentive**, subject to approval by the PIU.
- Patience Capital-** In order to accelerate the development of high-impact Deep Tech innovations with long gestation periods, the Government of Uttar Pradesh shall provide "Patience Capital" to eligible Deep Tech Innovation startups to enable sustained research, product validation and commercialization.
 - The startup proposal for seeking Patience Capital must be identified by the Navratna Incubators and formally recommended by Director of the host institute of those Navratna incubators. The proposal shall thereafter be recommended by the PIU, followed by consideration by the EC and final approval by the Hon'ble Cabinet.
 - A maximum of four (4) Deep-Tech Innovation startups shall be supported in a financial year, with funding of up to INR 40 Crores per startup under this provision. The total allocation under this component shall not exceed INR 100 Crores in a year. The amount sanctioned per startup shall be decided on a case-to-case basis, based on technology readiness, capital requirements and the amount sanctioned will be disbursed to Navratna incubator for further disbursement to selected startups.
 - Returns on Patience Capital shall be structured through a flexible combination of IP monetization share, revenue share and equity/convertible instruments, including revenue-linked returns, capped IP commercialization share and long-tenure convertible equity, as determined by the competent authority.
 - Supported startups shall commit to Uttar Pradesh as their home State upon maturity and maintain a majority of scale-up, manufacturing and future R&D operations within the State to ensure long-term economic and strategic benefits.

- iii. **Royalty based R&D matching grant-** The State government matches up to 40% of the verified R&D expenditure as non-dilutive grant. Repayable as 3% revenue royalty only after the startup crosses INR 1 Crore in annual revenue. Non-repayable if the product fails to commercialize.
- iv. **Incentive for Compute Power to Startups-**Eligible startups may receive reimbursement for actual expenses incurred on data centre and/or cloud services, up to INR 2 Lakhs per financial year. A minimum annual spend of INR 50,000 shall be required to claim this benefit. Reimbursement will be 50% of the amount spent above INR 50,000, subject to the maximum limit of INR 2 Lakhs per year.

4. Process of Incentivization

Startups shall apply on the StartinUP Portal as per their actual stage, with incubator recommendation. Startup applications shall be evaluated by the sector specific Startup Review Committee of Experts (SRCE) and recommended to the nodal agency. After approval from nodal agency, the final approval PIU shall be done by the PIU and after which the financial incentive shall be directly transferred to the startup's bank account.

The guideline for selection and disbursement of incentives for startups shall be notified by the PIU, which may further be amended for the betterment of the policy on the approval of EC recommended by the PIU.

5. Support for startups

Free incubation shall be provided for two years at StartinUP recognized incubators and Centre of Excellence (CoEs).

B. Incubator

1. Incubator Recognition & Eligibility

- i. Incubators recognized by StartinUP.
- ii. Host institutes willing to get recognized under UP Startup Policy shall be required to fulfil the following parameters:
 - **Floor Area:** 10,000 sq. ft. for educational institutes and 5,000 sq. ft. for incubators occupying commercial space.
 - **Dedicated Incubation Team:** Incubator must employ a dedicated incubation manager to manage the regular operations along with 2 other team members to support.
 - **Co-working Space:** Incubator shall create a coworking space of at least 50 sq. ft. per seat.
 - **Meeting Rooms:** There should be availability of dedicated meetings rooms available to be used for client meetings by startups.

- **Conference Room:** A conference room should also be available for small events or mentoring classes for start-up founders.
- **Cafeteria/Refreshment Zone:** Refreshments zone shall be established for startups and visitors working from/visiting the incubation Centre.

2. Incentives for Incubator

- Capital expense grant:** Capital grant on setting up/scaling up technology infrastructure for the StartinUP recognised non-government incubators shall be reimbursed up to 50 percent of the eligible amount subject to maximum limit of INR 1.25 Crores (for the Purvanchal/Bundelkhand regions Up to ₹1.50 Crores), first instalment to be capped at 25 percent of the maximum limit. The demand for the same shall be raised on quarterly basis by incubators. Capital grant to government incubator shall be given in exceptional cases only post approval by the Empowered Committee.
- Operational Expenditure grant:** Financial support to incubators up to INR 40 Lakhs per year shall be allowed to cover operational expenditure for 5 years or until self-sustainable, whichever is earlier. The incubators having 2 or more registered startups shall be eligible to claim these expenses. The expenses can be claimed proportionately until the target of 10 registered startups is achieved upon which they become eligible to claim the full amount of INR 40 Lakhs for subsequent remaining period. The year-on-year continuation of operational expenditure support shall be solely dependent on incubator's performance assessed through Incubator Performance Evaluation Framework conducted by external agency, released by Nodal Agency and approved by the PIU. The operational expenditure shall be subject to valid supporting documents such as Invoices, Utilization certificates certified by CA etc. (A relaxation shall be provided for the first year, wherein the requirement of having a minimum of 2 registered startups shall be waived. However, by the end of the first year, the incubator must have at least 10 registered startups to continue receiving full operational expenditure support. Incubators who have completed 5 years of operations but have not received any OPEX grant or have received only partial OPEX support earlier shall also be considered eligible under this provision, subject to meeting other criteria and performance requirements).

Note: An incubator shall be eligible to claim the operational grant only if it has startups physically incubated within its premises. Startups that are incubated virtually shall not be considered for this purpose.

- Incubators shall be free to charge from startups for utilization of co-working space and mentorship session as per their agreement post the free incubation period executed on the StartinUP Portal.

- Around 60% amount of the operational grant shall be utilized for the salary of dedicated manpower for the incubation Centre and remaining 40-45% amount shall be utilized for maintenance of the incubation Centre, professional services and programmes & outreach.

Note: The operational grant shall be utilized strictly and exclusively for resources, activities and expenditures directly related to the incubation Centre. Any utilization of funds for purposes other than those specified under this policy shall not be permitted.

- The selection criteria for the appointment of incubation manager and guideline for disbursement of incentives for Incubators shall be approved by the EC on the recommendation of the PIU.

iii. **Acceleration Programmes:** Acceleration programmes are short to medium term mentoring programmes to support startups with business expansion once they have scaled up to formally launch product in the market.

- A matching grant of up to INR 1,00,000 per startup, maximum INR 10 Lakhs per programme, shall be given to competent institutions for up to 5 programmes per institution per year, to run an Acceleration Programme of minimum 12 weeks for eligible startups at Early Traction or Scaling stage. Maximum 100 such programmes may be organised per year under this policy. The total number of such programmes and the cap on the number of such programmes per institute may be relaxed by the EC on recommendation of the PIU. Competent institutions eligible to run programmes include: GoI/GoUP-supported or recognized incubators; SEBI-registered angel investors; banks and reputed academic institutions; private accelerators empanelled with the UP Startup Mission with at least 3 years of experience.
- **Exclusion - Anti Double-Dipping:** An institution that has claimed the matching grant under this clause for a specific programme cohort shall not also receive programme fees from the same startup participants for whom the startup-side reimbursement has been claimed. Where a startup claims reimbursement, the running institution must certify on the StartinUP portal that it has not charged and will not charge, a programme fee to that startup in excess of the amount the startup will recover through the government reimbursement.
- **Outcome Reporting and Empanelment Renewal:** Institutions claiming this matching grant shall submit an Annual Programme Outcome Report to the UP Startup Mission within 60 days of financial year end, covering: (i) number of startups graduated per cohort; (ii) percentage of graduates who raised external investment within 12 months; (iii) aggregate revenue growth of cohort companies; (iv) number of jobs created.

- Empanelment shall be renewed annually. Institutions that fail to submit the Outcome Report for 2 consecutive years, or whose cohort funding conversion rate falls below 10% for 2 consecutive years, shall be de-empanelled at the discretion of the PIU.
- iv. **Navratna Incubators:** All Navratna incubators shall get an incentive of INR 30 Lakhs per annum for developing/scaling up the incubation capabilities.
 - The guidelines for selecting Navratna Incubators and for disbursing incentives to them will be approved by the EC on the recommendation of the PIU.
- v. **Annual Incubator Rankings:** State level annual incubator rankings shall be introduced as per the KPI framework approved by the EC. An external agency will be engaged to perform the Periodic Evaluation and assign rankings.
- vi. **Reward for funding raised by startups:** The GoUP shall reward the recognised incubators with 2% up to INR 50 Lakhs of the total amount raised by their incubated startups in each quarter of the financial year. This incentive shall be excluding the funds raised by startups under the UP-Startup Fund.

3. Provision for incentivization of Incubators

- The Incubator applying for incentive shall be a StartinUP recognized incubator.
- Capital and operational expenses can be claimed by applicants applying to get recognized as an incubator under the policy.
- Performance review and quarterly assessment of incubators shall be done by the UP Startup Mission based on the KPIs/target compliance report along with the necessary supporting documents submitted by the recognized incubator.
- Necessary action shall be taken in cases of non-performance by incubators, i.e. non-compliance to mandatory 70% KPI Target achievement and at least 80% grant utilization for a period of 2 Years tenures.
- Other terms and conditions will be decided by the PIU through separate guidelines issued for the incentivization to the incubators under the policy.
- The Incubator applicants shall register on StartinUP Portal and will be the PIU recognized and approved for grant under the policy by the PIU.
- The proposal of incubator shall be devoid of charging any equity from the startups to be incubated within the free incubation period.
- Recognized incubators shall submit a declaration confirming that a dedicated infrastructure space has been created using StartinUP funds. The incubator shall also confirm that no other funds have been raised for the same purpose. However, they are free to dovetail schemes/ incentives of Government of India and not through any other State policy/ scheme.

Mentors:

4. Eligibility for recognition on StartinUP Portal:
 - i. Mentors shall be registered on MAARG and StartinUP portal.
 - ii. Mentors shall provide structured guidance and support for startups across various stages.
 - iii. Key responsibilities of mentors include providing strategic guidance for startup growth, business model validation and product-market fit. They shall support startups through domain expertise, fundraising guidance, market linkages, networking and resolution of operational or regulatory challenges.

C. Centre of Excellence (CoE)**1. Procedures and Guidelines for Centre of Excellence (CoE):**

The Government of Uttar Pradesh shall provide financial support in the form of Grant-in-aid (covering capital and operational expenditure) up to INR 12 Crores to CoE during a span of 5 years from the date of establishment. It is expected that the CoE would become self-sustainable by the end of 5 years.

Post completion of the 5 year period, the CoE shall continue to be associated with Startup UP; however, no further financial Grant-in-aid shall be provided.

Upon completion of 5 years, in Exceptional cases an extension of up to 40% of the financial Grant-in-aid (covering capital and operational expenditure) may be considered for the existing CoE, subject to approval by the Empowered Committee based on the recommendation of the PIU.

The goal is to establish CoEs in the fields of Quantum Computing, Machine Learning, AR/VR, Robotics, Space-Tech, Defence-Tech, Agri-Tech, Edu-Tech, Health-Tech and other relevant areas of social or national importance.

The disbursal of financial support to CoE shall be contingent upon the EC's decision. Moreover, the release of funds/incentives by the Government shall depend upon their performance

2. Target and Outcome for CoE:

The CoE shall create incubation capacity for at least 50 startups at any given point in time. The CoE shall target to graduate 100 startups over a period of five years, primarily in IT and related domains, including at least 100 startups from other sectors such as Biotechnology, Manufacturing, Energy, Agri-business and other emerging sectors.

The CoE shall provide end-to-end support across the startup lifecycle, including ideation, validation, prototyping, product development, market access and scale-up. Emphasis shall be placed on enabling startups to achieve commercial viability. Accordingly, startups graduating from the CoE are expected to have established sufficient production or service delivery capacity, demonstrated market traction and an active presence in the market, with clearly defined revenue models and growth potential.

A CoE can also recommend its beneficiary startup for applying incentives under the policy.

D. Non-Fiscal Incentives for Startups/Incubators/ CoEs:

- i. In alignment with the labour reforms undertaken by the Government of India, including the Code on Wages 2019, Industrial Relations Code 2020, Occupational Safety Health and Working Conditions Code 2020 and Code on Social Security 2020, the State shall provide a facilitative and enabling regulatory environment for startups to promote ease of doing business. In case of the labour laws, no inspections will be conducted for a period of 3 to 5 years from the date of incorporation. Startups may be inspected on receipt of credible and verifiable complaint of violation, filed in writing and approved by at least one level senior to the inspecting officer.
- ii. Permission shall be available for 3-shift operations with women working in the night for startups, subject to such units taking the prescribed precautions in respect of safety, welfare and security of employees in addition to providing the required welfare and health amenities as prescribed under applicable labour laws and obtaining the necessary approvals from the competent authority.
- iii. The State shall promote flexible employment practices including engagement of gig workers, platform workers and fixed-term employees in accordance with applicable provisions under National Labour Laws. A simplified and digital single-window compliance mechanism shall be developed through the StartinUP Portal to enable startups to fulfil regulatory requirements in a seamless and time-bound manner.
- iv. The State Government shall periodically review and rationalize compliance requirements for startups to ensure alignment with evolving reforms and emerging business models.

8- Governance

4-Tier Governance structure will be responsible for effective implementation, monitoring and decision making for the Startup Policy 2026.

The composition of the governance structure is as follows:

1. **Steering Committee (SC)** formed under the Chairmanship of Hon. Chief Minister, Government of Uttar Pradesh

The charter of the Steering Committee shall be pertaining to monitoring and review of achievement of policy outcomes on annual basis against defined Vision, Mission and Goals including but not limited to promotion of startup culture by various departments, approval and disbursement of incentives to incubators and startups, recognition and establishment of incubators in the State, performance of State in State Startup Ranking Framework etc. The other members of the committee are as follows:

Hon. Minister, IT & Electronics, GoUP

Hon. Minister, MSME & Export Promotion, GoUP

Hon. Minister, Technical Education, GoUP

Hon. Minister, Agriculture, GoUP

Hon. Minister, Tourism, GoUP

Hon. Minister, Department of Industrial Development, GoUP

Chief Secretary, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Infrastructure and Industries Development
Commissioner (IIDC), GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Tourism, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of IT & Electronics, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Planning, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Finance, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of MSME, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Vocational Education & Skill
Development, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Higher Education, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Technical Education, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Medical Education, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Agriculture, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Rural Development, GoUP

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of Housing & Urban Development,
GoUP

2. **Empowered Committee (EC)** shall be formed under the chairmanship of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh.
 - i. The State level EC shall take necessary decisions on the matters related to effective policy implementation or any other issues referred by the PIU for decision making.
 - ii. The charter of the committee shall be pertaining to effective implementation of the policy by various departments with respect to setting up incubators, setting up sectoral funds, promotion of startup culture through various events and contributing to positioning UP among the Top start-up ecosystems in India.
 - iii. The EC will also approve Key Performance Indicators (KPIs) for periodic assessment of incubator's performance towards achieving the policy goals. The assessment of incubators shall be done by an external agency.
 - iv. The EC shall be responsible for recommending grant-in-aid for Centre of Excellence, Patience Capital for Deep-Tech Start-ups and special cases of Quality Certification/ Patent filling cost reimbursement to the Hon'ble Cabinet for approval.
 - v. This Committee will also have the power to provide any clarity or interpretation of the policy and resolving any challenges faced in the implementation of the policy.
 - vi. This committee shall comprise of Additional Chief Secretary/ Principal Secretaries of IT&E, Finance, Technical Education, Higher Education, Skill Development, Medical Education,

Agriculture, MSME, Commercial Tax, Energy, Transport, Rural Development, Housing & Urban Development and any other department as directed by the EC Chairman time to time.

- vii. The Empowered committee constituted under the policy shall decide upon the amendment of the policy.
3. **Policy Implementation Unit (PIU)** shall be formed under the chairmanship of the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of IT & Electronics Government of Uttar Pradesh
 - i. The PIU shall be set up to oversee the work of Nodal Agency with regards to startup policy implementation including the decision making wherever required such as recognition of incubators, approval of incentives for startups, launch of startup funds and approval of startup ecosystem promotion event.
 - ii. The PIU shall also be responsible for providing recommendations and approvals of incentives applicable to startup stakeholders through startup nodal agency.
 - iii. It shall provide timely redressal of their grievances and facilitate necessary guidance and support.
 - iv. The PIU may refer cases to the Empowered Committee (EC) for further deliberation and decision making, as and when required.
 - v. Other responsibilities of the PIU include but not limited to, coordination with government functionaries, engagement with industry associations, onboard startup ecosystem stakeholders, corporates, promotion of the policy etc.
4. **Startup Review Committee of Experts (SRCE)** shall comprise of members from Industry, Academia, Venture Capitalists, Angel Investors, Mentors, Government representatives along with funding agencies and established/ prominent startups to evaluate and recommend the incentive proposals of startups as per the provisions of the policy.
 - i. The SRCE shall be answerable to the ACS/PS, IT & Electronics, GoUP, for carrying out the assessment of startups under the Policy. The recommendations on evaluation by the SRCE will be forwarded to the PIU through the Nodal Agency.
 - ii. UP Startup Mission will nominate the sector specific Startup Review Committee of Experts (Total 7 and can be further amended/extended after approval of the PIU) in the below mentioned priority sectors after the approval of PIU. This committee shall evaluate startup applications and recommend them to the Nodal Agency, which shall be forwarded to the PIU for final approval and disbursement of incentives.
 - iii. These members of the committee shall be:
 - Subject Matter Experts (SME) from technical and non-technical academic institutions which shall be nominated by UP Startup Mission after due approval from the PIU.
 - Investors (Angel Investors, HNIs, VCs, etc.), mentors and private industry experts who are proficient in investing or evaluating startups.
 - iv. Any individual holding equity in a startup shall not be eligible to serve as Chairperson of the SRCE.

Additional Institutional Mechanisms:

- **Advisory committee** Shall be formed under the chairmanship of Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Department of IT & Electronics, Government of Uttar Pradesh.

The Advisory Committee shall function as a think tank for incubators, startups, accelerators and other stakeholders within the State's startup ecosystem. The Committee shall comprise representatives from Incubators, Alternative Investment Funds (AIFs), Fund Managers, Faculty Members from reputed Academic Institutions, successful startups and other relevant stakeholders. The Committee shall provide strategic inputs, suggestions and feedback to support the effective implementation and continuous improvement of the Policy to the Empowered Committee which shall further taken for consideration of the Steering Committee.

- **UP Startup Mission** will be established which will act as single-window and nodal agency for the implementation of this policy. UP Startup Mission will be set up under the Department of IT & Electronics, Govt. of Uttar Pradesh and shall be responsible for effective implementation of this Policy.

Note: UP Electronics Corporation Limited shall continue to serve as the Nodal agency until the UP Startup Mission is established and becomes operational.

9- Guidelines and Amendments

- The Operational guidelines for the implementation of this policy including approval and disbursement of Incentives mentioned in this policy shall be issued by Policy Implementation Unit (PIU).
- During the implementation of the policy, if needed, the financial incentives for startups, incubators and CoEs may be increased by up to 50%, with the approval of the Hon'ble IT Minister, based on the recommendation of the Empowered Committee.

10- Definitions

1. **Startup:** An entity shall be considered as a Startup on fulfilling the conditions defined by Government of India, vide notification No. G.S.R. 108(E) dated 4 February, 2026 being issued in supersession of the Gazette Notification No. G.S.R. 127(E) dated February 19, 2019 and subsequent amendments thereof. In this notification, an entity shall be considered as a Startup:

a 'Startup' means an entity which—

- i. is incorporated or registered in India as a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013) or registered as a partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2008) or a Multi-State Cooperative Society registered with the Central Registrar of Cooperative Societies (under the Multi-

- State Cooperative Societies Act, 2002) or a Cooperative Society registered under any State or Union Territory Cooperative Societies Act with the respective Registrar of Cooperative Societies in India;
- ii. is within a period of ten years from the date of its incorporation or registration;
 - iii. has a turnover for any of the financial years since incorporation or registration not exceeding two hundred Crores rupees; and
 - iv. is working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation.

Provided that, in the case of an entity recognized as a 'Deep-Tech Startup' under this notification:

- (a) the period specified in clause (ii) shall be up to twenty years from the date of its incorporation or registration; and
- (b) the turnover limit specified in clause (iii) shall be three hundred Crores rupees for any of the financial years since incorporation or registration

Provided further that, an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered a Startup.

Explanation:

For the purposes of this notification, an entity shall cease to be a Startup on completion of ten years from the date of its incorporation or registration, or if its turnover for any previous year exceeds two hundred Crores rupees.

Provided that, in the case of an entity recognized as a Deep-Tech Startup under this notification, such entity shall cease to be a Deep-Tech Startup on completion of twenty years from the date of its incorporation or registration, or if its turnover for any previous year exceeds three hundred Crores rupees.

2. **Incubators:** The incubator shall be responsible to support startups by providing plug and play facilities, meeting/conference rooms/office space and shared administrative services, high-speed internet access etc. The Incubators shall also provide various services to startups such as mentors, training, funding, legal services, accountancy services, technical assistance, networking activities, marketing assistance etc. in collaboration with State/Central Government, as possible.
3. **Host Institutes:** Host Institutes (HIs) are reputed technology, management and R&D institutes run by GoUP or established and run by GoI in the State of UP focused on entrepreneurial development and promotion to set up incubators to galvanize the startup ecosystem in the State.
4. **Acceleration Programmes:** An Acceleration Programme is a structured, time-bound programme of a minimum of 12 weeks' duration designed to accelerate the growth of post-product startups through intensive mentoring, market access facilitation, investor readiness training and peer cohort learning. Acceleration programmes are distinct from incubation:

which provides infrastructure and early-stage support — in that they focus exclusively on business scaling, revenue growth and investment readiness for startups that have completed product development and are at Early Traction or Scaling stage.

An Acceleration Programme must satisfy all of the following conditions to be eligible under this policy:

- ✓ Minimum duration of 12 weeks operating on a cohort model of not fewer than 5 startups per cohort.
- ✓ Delivered by an organization empanelled with the UP Startup Mission and falling within one of the three Tiers defined below;
- ✓ curriculum must include, at minimum: investor pitch preparation, financial model review, go-to-market strategy and at least 2 Demo Day or investor connect events
- ✓ the programme must not charge equity from participating startups as a condition of participation.

- Tier Classification:

- ✓ Tier 1- National/International Recognized Accelerators: DPIIT-recognized accelerators, SEBI-registered AIFs with an acceleration mandate, or international accelerators with a verified portfolio of 50 or more graduated companies (examples: Y Combinator, Techstars, T-Hub Lab32, CIIE IIM Ahmedabad, IIT-based accelerators).
- ✓ Tier 2 – State-Recognized Accelerators: GoUP or GoI-supported incubators running structured acceleration programmes; SEBI-registered angel networks with acceleration programmes; banks and financial institutions with verified startup acceleration programmes; private accelerators with at least 3 years of operation and a minimum of 20 graduated companies.
- ✓ Tier 3 - Empanelled Programmes: All other institutions empanelled with the UP Startup Mission meeting conditions (a) through (d) above, including academic institutions, industry associations and emerging accelerators.

- Tier classification shall be maintained and published by the UP Startup Mission on the StartinUP portal and updated annually.

5. **Venture Capital Funds:** Investment funds that manage money from investors seeking equity stakes in startups with strong growth potential. These investments are generally characterized as high-risk/high-return opportunities.
6. **Angel Investors:** Investors who provide early-stage seed funding to small startups or entrepreneurs. The Angel investor should be registered with SEBI or banks or GoUP/GoI approved incubation Centres.
7. **Women based startup:** A woman led startup is a startup owned by woman or group of women with at least 51% of equity in the startup and registered with DPIIT and StartinUP
8. **Purvanchal based startup:** Startup registered in any district of the Purvanchal region of Uttar Pradesh:
 - **Ayodhya Region:** Ayodhya, Ambedkar Nagar, Sultanpur, Amethi
 - **Gorakhpur Region:** Gorakhpur, Deoria, Maharajganj, Kushinagar
 - **Prayagraj Region:** Prayagraj, Kaushambi, Fatehpur, Pratapgarh

- **Varanasi Region:** Varanasi, Chandauli, Jaunpur, Ghazipur
 - **Mirzapur Region:** Mirzapur, Sant Ravidas Nagar, Sonbhadra
 - **Azamgarh Region:** Azamgarh, Ballia, Mau
 - **Devipatan Mandal:** Gonda, Bahraich, Balrampur, Shravasti
 - **Basti Region:** Basti, Sant Kabir Nagar, Siddharth Nagar
9. **Bundelkhand based startup:** Startup registered in any district of the Bundelkhand region of Uttar Pradesh.
- **Jhansi Region:** Jhansi, Jalaun, Lalitpur
 - **Chitrakoot Region:** Banda, Chitrakoot, Hamirpur, Mahoba
10. **EWS (Economically Weaker Section):** A category defined by the Government of India for individuals from the general (unreserved) category whose annual family income is below INR 8 Lakhs and who do not belong to SC, ST, or OBC categories and holding a valid certificate issued by a competent authority.
11. **Transgender:** A person whose gender identity does not align with the gender assigned at birth, as defined under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 and holding a valid disability certificate issued by a competent authority.
12. **Divyangjan:** Persons with disabilities who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments that hinder full and effective participation in society, as defined under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and holding a valid disability certificate issued by a competent authority.
13. **Minimum Viable Product (MVP):** A Minimum Viable Product (MVP) is the simplest version of a product that includes only the core features necessary to solve a specific problem for early adopters, allowing a startup to launch quickly, test assumptions and gather real user feedback with minimal resources.
14. **Patience Capital:** Long-term, risk-tolerant financial support provided to startups, structured through a flexible combination of IP monetization share, revenue share and sweat/mentoring equity/convertible instruments, including revenue-linked returns, capped IP commercialization share and long-tenure convertible equity in the form of Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS), which does not seek immediate returns and is aligned with extended innovation, research and development.
15. **Deep-Tech Innovation:** Technology-driven innovation based on significant scientific or engineering breakthroughs, including but not limited to artificial intelligence, advanced materials, biotechnology, medical technologies, clean energy, semiconductors, aerospace, robotics, quantum computing or similar emerging technologies, where product development involves high R&D intensity and longer gestation periods.
16. **Circular Economy:** Circular Economy refers to an economic model that focuses on reducing waste, reusing resources, recycling materials and regenerating natural systems by promoting sustainable production and consumption practices. The Circular Economy domain includes sectors and activities such as waste management and recycling, resource recovery, sustainable packaging, repair and refurbishment,

remanufacturing, industrial symbiosis, bio-based materials, agricultural waste utilization, water recycling and wastewater treatment, e-waste management, construction and demolition waste recycling, renewable and sustainable materials, product life extension, sharing economy platforms and circular supply chains.

17. **Patent filing cost:** The cost incurred for getting an intellectual property right granted to an inventor for an invention that is novel, involves an inventive step and is capable of industrial application, conferring exclusive rights to make, use, sell, or import the invention for a specified period.
18. **Quality Certification reimbursement:** The reimbursement for getting Quality certification granted by an accredited national or international certification body, confirming that a product, service, or process complies with prescribed standards of quality, safety, performance, or reliability.
19. **Graduating:** Graduating of startup means reaching a stage where a startup has successfully grown, proven its business model and is ready to move from an early-stage incubation or acceleration programmes into the next phase of independence and scaling.



Department of Information Technology and Electronics, Government of Uttar Pradesh

With UP Electronics Corporation as Nodal Agency for Policy Implementation Unit (PIU)

Address: 10-Ashok Marg, Lucknow-226001

Phone no: 0522-2286808, 2286809, 2286812

Email: info@itpolicyup.gov.in

Website: itpolicyup.gov.in